Ok"k % 40(vad % 01 (tuojh % 2018(eY; % nl #Ik,

सीटू मजदूर

'सीटू मजदूर' के सभी पाठकों को नव वर्ष 2018 की शुभकामनाऐं

अगरतला में सीटू की विशाल रैली

(रिर्पोट पृ० 18)

केंद्र में भाजपा सरकार के साम्प्रदायिक और विभाजनकारी एजेंडे के साथ, कॉरपोरेटों की पक्षधर, मजदूर-विरोधी एवं जन-विरोधी नीतियों के विरोध में;

त्रिपुरा की वाम मोर्चा सरकार के जन एकता के एजेंडे के साथ मजदूर-समर्थक और गरीब-समर्थक नीतियों के समर्थन; और

त्रिपुरा में सरकार बनाने के लिए वाम मोर्चा की आठवीं बार जीत के लिए

त्रिपुरा के मुख्य मंत्री मानिक सरकार और सीटू की राष्ट्रीय अध्यक्ष के. हेमलता सम्बोधित करते हुए

पी० राममूर्ति भवन का उद्घाटन

सीटू का ट्रेड यूनियन शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र

***(ऊपर बायें से दायें :* पी. आर. भवन; उद्घाटन करते सीताराम येचुरी; ए. के.पद्मनाभन द्वारा पी. आर. की प्रतिमा का अनावरण; सभा को संबोधित करते सीताराम येचुरी)**

सीटू ने 15 दिसम्बर, 2017 को अपने पी. राममूर्ति ट्रेड यूनियन शिक्षा व शोध केन्द्र का उद्घाटन सैकड़ों सदस्यों, समर्थकों, शुभचिंतकों व केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के नेताओं की उपस्थिति में किया। सीटू कैडरों के लिए एक स्थायी स्कूल के रूप में विकसित किये जाने वाले इस ट्रेड यूनियन शिक्षा केन्द्र का नामकरण सीटू के संस्थापक महासचिव व देश के मजदूर वर्ग के लोकप्रिय नेता पी. राममूर्ति के नाम पर किया गया था। 15 दिसम्बर, कॉमरेड पी. राममूर्ति की 30 वीं पुण्यतिथि थी। कॉमरेड पी. आर की बेटियाँ, वकील आर वैगाई व डॉ० पोन्नी व दो पौत्र उद्घाटन समारोह में मौजूद थे। दक्षिण एशिया के लिए भारत में नई दिल्ली स्थित आई एल ओ की डिसेंट वर्क टेक्नीकल सुर्पोट टीम के निदेशक पनुड्डा बूनपाला भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे।

कार्यक्रम की शुरूआत सीटू अध्यक्ष हेमलता द्वारा सीटू का झंडा फहराये जाने के साथ हुई। सीटू उपाध्यक्ष ए. के पदमनाभन ने पी. राममूर्ति की प्रतिमा का अनावरण किया। राज्य सभा के पूर्व सांसद सीताराम येचुरी ने जो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे, पी. आर भवन का उद्घाटन किया और मुख्य वक्ता के रूप में जनसभा को संबोधित किया जिसकी अध्यक्षता हेमलता ने की। सीटू के सचिव स्वदेश देवरॉय ने सभी उपस्थित लोगों का स्वागत किया और पी. आर भवन के निर्माण में मदद करने वाले वास्तुकारों, अभियन्ताओं आदि के समूह का परिचय कराया। सीटू महासचिव तपन सेन तथा आर वैगाई ने भी संबोधन किया। सीटू की वर्किंग कमेटी के सदस्य अमिताव गुहा ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

अपने कैडरों को राजनीतिक– विचारधारात्मक शिक्षा प्रदान करने व एक ट्रेड यूनियन शिक्षा व शोध केन्द्र का निर्माण करने के पी. राममूर्ति के सपने को पूरा करने के लिए सीटू के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए वैगाई ने शोध के लिए स्थायी निधि के माध्यम से मदद देने का वादा किया। डॉ० पोन्नी ने सभा में 10,000 रूपये का चेक प्रदान किया और हर महीने इतनी ही रकम देने का वादा किया। सीटू की ओर से हेमलता ने दोनों का धन्यवाद किया।

सेंट्रल आर्गेनाइजेशन ऑफ तमिलनाडु इलेक्ट्रीसिटी एम्पलाइज (सी ओ टी ई ई) के द्वारा प्रायोजित, पी. आर. की फोटो वाला एक कैलेंडर इस अवसर पर सीटू उपाध्यक्ष ए सौंदरराजन द्वारा जारी किया गया। तपन सेन ने पी. आर. के बारे में आर. वैगाई व एन रामकृष्णन द्वारा लिखी एक पुस्तिका जारी की।

सीटू मजदूर

lhvkbVh;w dk

e[ki=

जनवरी 2018

सम्पादक मण्डल

सम्पादक

के हेमलता

कार्यकारी सम्पादक

जे एस मजुमदार

सदस्य

तपन सेन,

एम एल मलकोटिया,

कश्मीर सिंह ठाकुर,

पुष्पेन्द्र त्यागी,

एच.एस.राजपूत

अंदर के पृष्ठों पर

पी० राममूर्ति भवन का उद्घाटन 2

श्रम कल्याण मोदी स्टाईल में —ए के पद्मनाभन 5

मूल्य वृद्धि के खिलाफ सीटू का आन्दोलन 6

प्रवासी मजदूर अफजारूल की हत्या 8

कानूनी नोट 9

उद्योग व क्षेत्र 11

राज्यो से 18

अंतर्राष्ट्रीय 22

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 26

सम्पादकीय

एफ.आर.डी.आई. विधेयक: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको और जमाकर्ताओं को धमकी

2008 के वैश्विक आर्थिक संकट की पृष्ठभूमि में, संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में जी —20 देशों ने सरकार द्वारा 'जमानत' मुहैया कराने के बजाय असफल बैंकों को जमाकर्ताओं द्वारा 'जमानत' देना निर्धारित किया था। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी'), जिन्होने उस समय विश्व आर्थिक संकट के प्रत्यक्ष परिणाम से देश को बचाया, अब फाईनेन्सियल रिजोल्यूशन एण्ड डिपोजिट इन्श्योरेन्स (एफ.आर.डी.आई.) विधेयक 2017 में जमानत के उसी नुस्खे के साथ निजी बैंकों के साथ बंधा गये हैं। यह, सरकार के स्वामित्व वाले सार्वजनिक बैंकों की संभावित दिवालियापन से पहले की स्थिति का स्वीकार प्रतीत होता है।

बैंकों, बीमा और अन्य वित्तीय प्रतिष्ठानों के बारे में एफ.आर.डी.आई. विधेयक संसद के मानसून सत्र में रखा गया था और उसे संसदीय संयुक्त समिति के पास भेजा गया था। देशव्यापी विरोध के मद्देनजर, सरकार ने अब समिति को वर्तमान शीतकालीन सत्र में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को स्थगित करने और अगले बजट सत्र में इसे जमा करने को कहा है।

एफ.आर.डी.आई. विधेयक में संयुक्त राज्य अमरीका के फेडरल डिपाजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की तरह ही एक फाईनेन्सियल रिजोल्यूशन कॉरपोरेशन (एफ.आर.सी.) के गठन का प्रावधान है। विधेयक निगम को पीएसबी' और अन्य वित्तीय संस्थानों के विलय और परिसमापन जैसे कार्य करने का अधिकार देता है, और इस प्रक्रिया में कर्मचारियों को स्थानांतरित करने और निकालने का भी अधिकार देता है। इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक संसदीय जांच के बाहर हो जाऐंगे।

विधेयक की धारा 52, कॉरपोरेटो को दिए 11 लाख करोड़ रूपये के नहीं लौटाये गये बुरे कर्जो के नीचे दबे बैंको को, जमाकर्ताओं के चालू व सावधि खातों में जमा उनकी बचत का पैसा लेकर और उसे असफल बैंकों की पूंजी के रूप में बदलकर उन्हें जमानत (बेल—इन) प्रदान करती है।

विभिन्न देशों में, जमानत के ऐसे प्रयासों ने काफी हद तक जमाकर्ताओं के खिलाफ काम किया है। साइप्रस में, जमाकर्ताओं ने अपनी बचत का लगभग 50% खो दिया।

यू.एफ.बी.यू. के तहत, 10 लाख बैंक अधिकारी और कर्मचारी 22 अगस्त को देशव्यापी हड़ताल पर थे और विधेयक के खिलाफ आंदोलनरत हैं। 12 जुलाई समिति के आहवान पर ट्रेड यूनियनों और महासंघों ने विधेयक को वापस लेने की माँग करते हुए कोलकाता में 21 दिसंबर को भारी जुलूस निकाला।

सीटू इकाइयों, इसके महासंघों और यूनियनों को, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बने हुए हैं; व खतरे में पड़ी जनता की बैंकों में जमा बचतों को बचाने के लिए नेतृत्व की जिम्मेदारी लेनी है और एफ.आर.डी.आई. विधेयक को वापस लेने की माँग मजबूती से उठानी है।

कॉमरेड सुकोमल सेन को सीटू केन्द्र में दी गयी भावभीनी श्रद्धांजलि

राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन के दिग्गज नेता कॉमरेड सुकोमल सेन को 2 दिसम्बर को नई दिल्ली स्थित सीटू केन्द्र बी टी आर भवन में आयोजित हुई एक शोक सभा में भावपूर्ण श्रृंद्धांजलि अर्पित की गयी। इस सभा में उपस्थित राष्ट्रीय नेताओं में सीटू की अध्यक्ष के. हेमलता, महासचिव तपन सेन, केन्द्रीय सचिव मंडल के अन्य सदस्य; अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हन्नान मोल्ला; सहसचिव वीजू कृष्णन व वित्त सचिव पी कृष्णाप्रसाद; अखिल भारतीय खेत–मजदूर यूनियन के सह–महासचिव सुनीत चोपड़ा; एडवा की उपाध्यक्ष एस पुण्यवती; सीटू, यूनियनों व अन्य जनसंगठनों के दिल्ली के नेतागण व कार्यकर्ता शामिल थे। तपन सेन, हन्नान मोल्ला, सीटू सचिव व वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस के उप–महासचिव एस देवरॉय व अन्य ने सभा को संबोधित किया तथा के. हेमलता ने अध्यक्षता की।

शोक संदेश

कॉमरेड शिबानी सेनगुप्ता

वयोवृद्ध ट्रेड़ यूनियन नेता कॉमरेड शिबानी सेनगुप्ता का निधन 80 साल की उम्र में 10 दिसंबर, 2017 को कोलकाता में हुआ। वह अपने पीछे एक बेटी छोड़ गई हैं।

कॉमरेड शिबानी सेनगुप्ता कोलकाता रोड ट्रांसपोर्ट, सीएसटीसी एम्प्लॉइज यूनियन (सीटू) की नेता थी और कई सालों से इसकी संयुक्त सचिव थीं; सीटू जनरल कौंसिल और सीटू के पश्चिम बंगाल राज्य सचिवमंडल की सदस्य थीं; और सीटू की ऑल इण्डिया कोओर्डीनेशन कमेटी ऑफ वर्किंग वूमैन्स की संस्थापक सदस्य थीं। वह सीपीआई (एम) के कोलकाता जिला सचिवमण्डल की सदस्य थी। कामकाजी महिला अखिल भारतीय समन्वय समिति (सीआईटीयू) ने दिवंगत नेता को सम्मानित श्रद्धांजलि दी।

मजदूरों किसानों की एकता

19 जनवरी 2018 मजदूर किसान एकजुटता दिवस

अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय खेतमजदूर यूनियन व सेंटर ऑफ ट्रेड यूनियंस (सीटू) के केन्द्रीय नेतृत्व की 7 दिसम्बर, 2017 को बी. टी. आर भवन में हुई एक संयुक्त बैठक में 19 जनवरी, 2018 को, 7 माँगो को उठाते हुए जिला स्तर पर संयुक्त रूप से मशाल जुलूसों लामबंदियों के द्वारा *मजदूर किसान एक जुटता दिवस* मनाने का फैसला किया गया। उठायी जानेवाली 7 माँगे हैं– (1) मूल्य वृद्धि रोको, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सार्वभौम बनाओ, आवश्यक वस्तुओं में वायदा कारोबार को प्रतिबंधित करो; (2) स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के अनुरूप किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करो; (3) गरीब किसानों व खेतमजदूरों को कर्ज माफी दो; (4) सभी मजदूरों को कम से कम 18,000 रूपये मासिक न्यूनमत वेतन दो; (5) खेतमजदूरों के लिए व्यापक कानून बनाओ; (6) सभी ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा को लागू करो, अधिनियम में संशोधन करो; तथा (7) सभी को खाद्य सुरक्षा प्रदान करो।

श्रम कल्याण मोदी स्टाईल में

ए के पद्मनाभन

सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की 12 अप्रैल, 2017 को हुई 217 वीं बैठक में ई पी एफ ओ द्वारा प्रस्तावित एक ऐजेंडा, एम्पलाईज डिपॉजिट लिंक्ड स्कीम में संशोधन का प्रस्ताव करने का था। प्रस्ताव में बीमित लाभान्वित को कम से कम 2.5 लाख रूपये का लाभ सुनिश्चित करने तथा सेवानिवृत्ति होने के समय मजदूर को एक लॉयल्टी राशि देना शामिल था।

ई डी एल आई के लाभ सेवा में रहते मजदूर की मृत्यु होने पर ई पी एफ ग्राहक के वारिसों को देय होते हैं। यह लाभ मृत ग्राहक के भविष्य निधि खाते (50 प्रतिशत) के औसत शेष तथा अंतिम 12 महीने में प्राप्त किये औसत मासिक वेतन के 30 गुने से जुड़ा होता है। 2015 में किये गये एक अन्य संशोधन के माध्यम से अधिकतम लाभ को 3.6 लाख से बढ़ाकर 6 लाख किया गया था। मौजूदा प्रस्ताव, सी बी टी की उपसमिति–पेंशन एंड ई डी एल आइ कार्यान्वयन समिति में पारित होने के बाद 2.5 लाख रूपये का न्यूनतम लाभ सुनिश्चित करता है।

लायल्टी की राशि जो दी जानी है उसके, प्रस्ताव के अनुरूप 3 स्तर हैं। यह राशि सदस्यों के 58/60 वर्ष की आयु पूरी करने पर तथा निम्नानुसार 20 वर्ष की कंट्रीब्यूटरी सर्विस पूरी करने पर दी जानी थी।

क्र०सं०	औसत वेतन प्रति माह	लॉयल्टी जमा जीवन लाभ (रूपये में)
1	5000 रूपये से कम या उसके बराबर	30,000 रूपये
2	5000 रू० से ज्यादा पर 10,000 से कम	40,000 रूपये
3	10,000 रू० से अधिक	50,000 रूपये

ई पी एफ ओ के अनुसार यह भुगतान इसलिए संभव था क्योंकि संगठन के पास वित्तीय वर्ष 2015–16 तक 18,119.29 करोड़ रूपये की संचित निधि थी। यह राशि हर वर्ष बढ़ रही है। केवल ई डी एल आइ के भुगतान के लिए ही 2006 से 2015–16 तक वार्षिक अंशदाय का 13 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक ही उपयोग किया गया।

यहाँ तक कि भुगतान की सीमा 6 लाख रूपये तक बढ़ जाने के बाद भी, खर्च, वार्षिक अंशदान का केवल 31 प्रतिशत ही होगा। प्रतिवर्ष निधि के ब्याज की राशि भी बढ़ रही है। ई पी एफ ओ का प्रस्ताव था कि ग्राहकों को बढ़े हुए लाभ देने के लिए काफी धनराशि है। ई डी एल आइ योजना में यह बेहतरी करने के लिए ब्याज व वार्षिक अंशदान का 80 प्रतिशत से भी कम उपयोग होना है। वर्ष 2015–16 में, निवेश पर रिर्टर्न 1,362.74 करोड़ रूपये था। लॉयल्टी जमा जीवन लाभ पर वार्षिक लागत अनुमानित 692 करोड़ रूपये थी। ई पी एफ ओ के अनुसार, ई डी एल आइ पर कुल अनुमानित लागत, कुल प्राप्त अंशदान व अर्जित ब्याज के 80 प्रतिशत के अंदर थी। वर्ष 2016–17 में जहाँ यह 80 प्रतिशत, 2,230.96 करोड़ रूपये था वहीं कुल अनुमानित लागत केवल 1,510.10 करोड़ रूपये थी। जब ई पी एफ ओ के इस प्रस्ताव पर चर्चा की जा रही थी तब दो सरकारी प्रतिनिधियों ने योजना के टिके रहने पर कुछ संदेह व्यक्त किया। तीखी बहस के बाद, *''ई पी एफ ओ के द्वारा रखा गया प्रस्ताव इस बदलाव के साथ पारित हुआ कि योजना को आकलन के लिए दो वर्षो के लिए लागू किया जायेगा जिसके दौरान इसकी कामयाबी का आकलन किया जा सकता है।''* यह प्रस्ताव श्रम मंत्रालय का था जो बैठक की अध्यक्षता कर रहा था।

लेकिन 7 महीने बाद भी, इसे सरकार द्वारा लंबित रखा गया है। 2015 में, कम्यूटेड राशि के वापिस किये जाने के बाद पेंशन से कम्यूटेशन राशि को काटना बंद किये जाने के फैसले के बाद यह दूसरा मुद्दा है जिसे सरकार द्वारा अब तक लंबित रखा जा रहा है।

मोदी सरकार जहाँ मजदूरों के खिलाफ जाने वाले ढ़ेरों प्रस्तावों को तुरन्त लागू कर रही है वहीं मजदूरों के पक्ष वाली किसी भी चीज को ठंडे बस्ते में डाल रही है।

मूल्य वृद्धि के खिलाफ सीटू का आन्दोलन

सीटू के अखिल भारतीय आह्वान् पर 13 दिसम्बर को विभिन्न राज्यों में सीटू की सभी ईकाईयों और मजदूरों ने महँगाई विरोधी दिवस को जुलूस निकालकर, रैलियों, प्रदर्शनों, आम सभाओं और सडकों पर नुक्कड मीटिंगें आयोजित करके मनाया और ज्ञापन प्रस्तुत किए और प्रधान मंत्री के पुतलों को जलाया गया। सीटू केंद्र में उपलब्ध कुछ रिपोर्टें यहाँ प्रस्तुत हैं।

झारखण्ड

पूर्वी सिंघभूम के जमशेदपुर, राँची, बोकारो, कोडरमा, गोड्डा, साहेबगंज और पाकुर आदि 7 जिला मुख्यालयों में रैलियाँ निकाली गयी और प्रदर्शन आयोजित किए गए। तीन स्थानों पर मोदी सरकार के पुतले जलाऐ गऐ। *(द्वारा: प्रकाश विप्लव)*

राजस्थान

हनुमानगढ जिला मुख्यालय में 600 मजदूरों, श्रीगंगानगर में 350 मजदूरों और सीकर में सैकड़ों मजदूरों को लेकर रैलियाँ निकाली गयीं और प्रदर्शन आयोजित किए गए। चित्तौडगढ़ में धरना दिया गया जन प्रतिनिधियों ने जयपुर में ज्ञापन सौंपा *(द्वारा: बी.एस. राना)*

पंजाब

आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में अभूतपूर्व बढोत्तरी के खिलाफ सीटू की पंजाब राज्य कमेटी ने रायकोट, अमृतसर, भटिण्डा, पठानकोट, रोपड़, लुधियाना, नाभा, घानोर, मुक्तसर साहिब, संगरुर, बरनाला और जालन्धर में रैलियाँ और प्रदर्शन आयोजित किए गए। मादी सरकार के पुतले जलाऐ गए। इन सभी कार्यक्रमों में 3000 से अधिक सीटू कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

दिल्ली–एनसीआर

गाजियाबाद जिले में, साहिबाबाद साइट –4, गाजियाबाद–मेरठ रोड और कोका कोला कारखाने के पास लगभग 500 मजदूरों ने प्रदर्शनों का आयोजन किया और प्रधान मंत्री का पुतला जलाया गया।

पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार श्रमिक चौक में प्रदर्शन और जन सभा आयोजित की गयी।

उत्तरी दिल्ली में, जहाँगीरपुरी मेट्रो स्टेशन के पास सडक के नुक्कड पर मीटिंग आयोजित की गई; और जुलूस निकाला गया, और प्रदर्शन का आयोजन किया गया और उत्तर दिल्ली के बवाना में निर्माण मजदूरों और सड़क विक्रेताओं की यूनियनों द्वारा संयुक्त रूप से पुतला जलाया गया।

दक्षिण दिल्ली में, जुलूस निकाला गया और ओखला औद्योगिक केंद्र में आम सभा आयोजित की गयी। *(द्वारा: अनुराग सक्सेना)*

तमिलनाडु

जिलों में तैयारी बैठकों का आयोजन किया गया। 41,000 पर्चे जनता के बीच वितरित किए गए और 1,700 पोस्टर चिपकाए गए। सोशल मीडिया अभियान किया गया। 32 जिलों में 3,129 मजदूरों की भागीदारी के साथ प्रदर्शनों का आयोजन किया गया। सलेम जिले की रैली में 300 मजदूर शामिल हुए। दक्षिण चेन्नई में 10 सड़कों के नुक्कडों पर मीटिंगें की गयी जिसमें लगभग 1,200 लोगों ने भाग लिया और 10,000 पर्चे वितरित किए गए। ओखी चक्रवात की वजह से कन्याकुमारी जिले में कार्यक्रम नहीं चला सके और उत्तर चेन्नई में बारिश के कारण प्रदर्शन आयोजित नहीं कर सके। *(द्वारा: गोपीकुमार)*

केरल

पूरे राज्य में 126 केंद्रों पर, जुलूस निकाले गए, बड़ी सार्वजनिक सभाएं आयोजित की गईं और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले को जलाया गया। *(द्वारा: ई. करीम)*

अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में विभिन्न जगहों पर सामूहिक जुलूस, प्रदर्शन, जन धरने आदि आयोजित किए गए। पोर्ट ब्लेयर में, जन धरना तिरंगा पार्क में आयोजित किया गया, जहां से एक जुलूस निकालकर सार्वजनिक सभा आयोजित की गयी। एक जुलूस रंगत बाजार से निकाला गया। एक जुलूस कडम्टाला बाजार से निकाला गया। बारटांग में, वन श्रमिकों, एपीडब्लूडी आदि के द्वारा एक बडा जुलूस नीलांबुर तक निकाला गया।

राष्ट्र की आर्थिक सेहत

''सीपीआई (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) 15 महीने के उच्चतम बिन्दु पर; औद्योगिक उत्पादन 3–महीने में सर्वाधिक नीचे'' इंडियन एक्सप्रेस 'इकोनॉमी' के पृष्ठ पर 13 दिसंबर को छपा।

''कीमतों में बढ़ोतरी और विनिर्माण धीमा होने के कारण, अर्थव्यवस्था अभी भी संकट से बाहर नहीं है'', द हिन्दू के संपादकीय द्वारा 15 दिसंबर को विनम्रतापूर्वक मोदी सरकार को याद दिलाया गया।

जीएसटी के साथ इस मुद्रास्फीति को जोड़कर, आरबीआई ने उम्मीद जताई थी कि जीएसटी दरों में हालिया कटौती से कई खुदरा वस्तुओं और सेवाओं की ''खुदरा कीमतों को कम होना चाहिए।''

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) के नवंबर, 2017 के आंकड़े बताते हैं:

मुद्रास्फीति दर ऊँची

– उपभोक्ता कीमतों में 4.88% की वृद्धि हुई – अक्टूबर में 3.6% और जून में 1.5% की वृद्धि हुई;
– खाद्य मुद्रास्फीति अक्टूबर में 1.9% बढ़ी थी, जो नवंबर में बढ़कर 4.42% थी – अंडा – 7.47%; सब्जी 22.5%;
– ईंधन मुद्रास्फीति – 7.2%; एक महीने पहले की 6.1% से ऊपर।

उत्पादन नीचे

– अप्रैल–अक्टूबर, 2017 में औद्योगिक उत्पादन में 2.5% की गिरावट आई; जो एक वर्ष पूर्व इसी अवधि में 5.5% पर था;
– अक्तूबर, 2017 में उपभोक्ता वस्तुऐं 6.9% नीचे; जो कि 2016 में इसी महीने 1.5% तक ऊपर थीं;

निर्यात नीचे

– निर्यात – अक्टूबर में शिपमेंट में 1.1% की गिरावट।

वित्त मंत्री का ट्रेड़ यूनियनों के साथ बजटपूर्व विचार विमर्श

वित्त मंत्री ने गत 5 दिसंबर को केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ वर्ष 2018 के बजट के लिए बजट पूर्व विचार–विमर्श का आयोजन किया। इस बैठक में सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सीटू की ओर से उसकी अध्यक्ष हेमलता ने इस बैठक में भाग लिया।

हेमलता ने अपने हस्तक्षेप में कहा कि इस वार्षिक बैठक को एक रस्म अदायगी की तरह नहीं माना जाना चाहिए; और केन्द्रीय ट्रेड़ यूनियनों की 12 सूत्रीय माँगों को हल करने के लिए, वित्त मंत्री की अध्यक्षता में 2015 में गठित मंत्री समूह की बैठक आयोजित करने की मांग की; कॉरपोरेटों को लाभान्वित करने के लिए 'व्यापार करने में आसानी' पर ध्यान देने के बजाय, सरकार को 'वैश्विक भूख सूचकांक' के मामले में भारत की स्थिति में सुधार लाने और स्वास्थ्य और शिक्षा सहित सामाजिक क्षेत्र जैसे कि आईसीडीएस, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम आदि, जो गरीब, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की सेवा करते हैं; में आवंटन को बढ़ाकर 'लिंगानुपात' पर ध्यान देना चाहिए। आईएलसी की सिफारिशों के अनुसार योजनाकर्मियों को मजदूर का दर्जा देकर न्यूनतम मजदूरी देने; और संसाधनों में वृद्धि के लिए अमीरों पर टैक्स लगाया जाए जो कि भुगतान कर सकते हैं, बुनियादी ढांचे पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करके रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करें, ताजा भर्ती से रेलवे आदि समेत विभिन्न सरकारी विभागों में सभी रिक्त पदों को भरा जाए, सभी ग्रामीण इलाकों में मनरेगा के कार्यान्वयन और शहरी क्षेत्रों में विस्तार किया जाए।
10 केंद्रीय ट्रेड़ यूनियनों ने संयुक्त रूप से एक नोट में अपने विचार प्रस्तुत किए।

प्रवासी मजदूर अफजारुल की हत्या

सीटू, पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के निर्दोष प्रवासी मजदूर अफजारूल की 6 दिसम्बर को राजस्थान के राजसमंद जिले में कुल्हाड़ी से बर्बर हत्या व जिंदा जलाये जाने; घटना का विडियो बनाकर उसे हिन्दुत्ववादी आतंकवादियों द्वारा सोशल मीडिया पर, कथित 'लव–जिहाद' के खिलाफ बहादुरी के कृत्य के रूप में प्रसारित करने की कड़ी निंदा करता है।

भाजपा के केन्द्र में सत्तारूढ होने के बाद से सांप्रदायिक घृणा तथा विभाजन पैदा करने के लिए निर्दोष अल्पसंख्यको का कत्ल देश में बार–बार किया जा रहा है, राजस्थान में ऐसा ज्यादा हो रहा है।

राजस्थान सरकार ऐसे हमलों से निर्दोषों को बचाने व सभी जिलों में नोडल पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की उपेक्षा करने की दोषी है। बचाने के बजाय पुलिस ऐसे हमलों को दबाने व रफा–दफा करने में लगी है।

अफजारूल की नृशंस हत्या में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा शामिल है वह देश व उसके बाहर दोनों ही स्तरों पर प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा, अधिकारों व जीविका की हिफाजत का है जो ट्रेड यूनियन आंदोलन के लिए राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर व आई एल ओ में एक अहम मुद्दा बन गया है।

सीटू ने राजस्थान सरकार से प्रवासी मजदूर अफजारूल की हत्या व सोशल मीडिया पर घृणा फैलाने में शामिल दोषियों को तुरन्त गिरफ्तार करने; मृतक के परिवार को जरूरी मुआवजा दिये जाने; ऐसे हमलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू किये जाने तथा राज्य में सभी प्रवासी मजदूरों की हिफाजत करने की माँग की है।

कंस्ट्रक्शन वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने एक बयान जारी कर प्रवासी निमार्ण मजदूर अफजारूल की हत्या की निंदा की है और केन्द्रीय श्रम मंत्री को केन्द्र व राजस्थान सरकार द्वारा प्रवासी निर्माण मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिखा है; फेडरेशन ने दोषियों को सजा तथा मृतक मजदूर के परिवार को केन्द्र व राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल सरकार से मुआवजे व एक सदस्य को रोजगार देने की माँग की है।

राजस्थान निर्माण मजदूर यूनियन (आर एन एम यू) सीटू, ने 8 दिसम्बर को मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में अफजारूल की हत्या की भर्त्सना करते हुए मृतक के परिवार को 50 लाख रूपये मुआवजे की माँग तथा इसके साथ निर्माण मजदूर कल्याण अधिनियम के तहत 5 लाख रूपये के वैधानिक प्रावधान तथा दोषियों को कड़ी सजा की माँग की है।

राजस्थान के राजसमंद जिले में 6 दिसम्बर को हुई अफजारूल की हत्या का विरोध करते हुए पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के हजारों निर्माण मजदूरों व जनता के विभिन्न तबकों के लोगों ने 9 दिसम्बर को वाम मोर्चा के आहवान पर धरमतला के लेनिन स्टेच्यू से एंटाली मार्केट तक जुलूस निकाला। राज्य के अन्य स्थानों पर भी ऐसे विरोध जुलूस निकाले गये।

(सीटू, सी डब्ल्यू एफ आई, आर. एन एम यू के बयानों व गणशक्ति से)

कानूनी नोट

सोमदत्त शर्मा

''समान कार्य के लिए समान वेतन'' के सिद्धांत को दोहराया

मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ ने पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम जगदीश सिंह एंव अन्य (2017) 1 सुप्रीम कोर्ट केस 148 में फैसला देते हुए दोहराया कि सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों के माध्यम से ''समान कार्य के लिए समान वेतन'' का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून का गठन करता है, जो भारत में सभी अदालतों पर बाध्यकारी है और नियमित कर्मचारी के समान कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरा करने वाले अस्थायी कर्मचारियों पर लागू है।

अदालत पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के (3 न्यायाधीशों) की पीठ के अवतार सिंह बनाम पंजाब राज्य (2011 एससीसी ऑनलाइन पी एंड एच 15326) के फैसले पर दी गयी चुनौती पर विचार कर रही थी, जिसमें खंडपीठ ने निष्कर्ष निकाला था कि दैनिक मजदूरों और नियमित कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली गतिविधियां समान हैं सिर्फ इसलिए अस्थायी कर्मचारी न्यूनतम वेतनमान के हकदार नहीं हो सकते। उच्च न्यायालय ने दो अपवाद (1) नियमित रूप से स्वीकृत पदों के खिलाफ दैनिक वेतनभोगी, तदर्थ या ठेके पर नियुक्त व्यक्ति, यदि अन्य सभी पात्र उम्मीदवारों के लिए निष्पक्षता और समानता के आधार पर चयन प्रक्रिया के बाद नियुक्त किया गया; और (2) लेकिन यदि वेतनभोगी, तदर्थ या ठेके पर नियुक्त व्यक्ति को नियमित रूप से स्वीकृत पदों के खिलाफ नहीं नियुक्त किया जाता है और उनकी सेवाओं का लाभ लगातार राज्य सरकार या उसके साधनों द्वारा पर्याप्त लंबी अवधि यानी दस वर्ष के लिए, दैनिक रूप से किया जाता है, वेतनभोगी, तदर्थ या ठेके पर नियुक्त व्यक्तियों के बारे में माना जाएगा कि बारहमासी प्रकृति का काम उपलब्ध है और इस तरह की लंबी अवधि के लिए काम करने पर, बिना किसी भत्ते के न्यूनतम नियमित वेतनमान के हकदार होंगे को, ऐसे व्यक्ति की श्रेणी में न्यायसंगत अधिकार बनाया गया है।

निम्नलिखित वास्तविक तथ्यों के साथ यह महत्वपूर्ण मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय में आया :

1. पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीष ने, राजिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य में सिविल रिट याचिका संख्या में 1992 की 536 में दिनांक 05.02.2003 को राज्य को याचिकाकर्ताओं (जो पम्प ऑपरेटर, फिटर, हेल्पर, ड्राईवर, प्लंबर, चौकीदार आदि के रूप में काम कर रहे थे) को न्यूनतम वेतनमान, समय–समय पर संशोधित अनुमत भत्ते के साथ जैसा कि इसी तरह के नियमित कर्मचारियों को भुगतान किया जा रहा था, का भुगतान करने का निर्देश दिया था। पंजाब राज्य द्वारा एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ दायर याचिका में, डिवीजन बेंच (दो न्यायाधीश) ने पंजाब राज्य बनाम राजिंदर सिंह (2009 के सुप्रीम कोर्ट के मामले ऑनलाइन पी एंड एच 125) में एकल न्यायाधीश के निर्णय को अलग करके कहा कि अस्थायी कर्मचारी न्यूनतम वेतनमान के हकदार नहीं थे, जो कि इसी तरह के नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारियों को दिया जाता था।

2. इसी अदालत के खंडपीठ ने एक अन्य मामले में पंजाब राज्य बनाम राजिंदर कुमार (2010 एससीसी ऑनलाइन पी एंड एच 13009) में पंजाब राज्य द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था कि याचिकाकर्ता (दैनिक वेतन भोगी के तौर पर कार्यरत पम्प ऑपरेटर, फिटर, हेल्पर्स, ड्राइवर, प्लम्बर, चौकीदार, लेजर क्लर्क, लेजर कीपर, पेट्रोल मैन , सर्वेयर, फिल्टर कूलीज, सीवर मैन एवं इसी तरह के कामगार) न्यूनतम वेतनमान के हकदार थे, साथ ही अनुमत भत्ते (समय–समय पर संशोधित) के साथ, जो समान रूप से रखे गए नियमित कर्मचारियों को दिया जा रहा था।

3. अवतर सिंह बनाम पंजाब राज्य में एक एकल न्यायाधीश ने दो डिवीजन खंडपीठ के दो फैसले के बीच विरोधाभास के मद्देनजर मामले को तीन न्यायाधीशों की एक बड़ी बैंच को भेज दिया।

4. खंडपीठों के फैसले और पूर्ण पीठ के फैसले पर अपील के वास्ते सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया और इस तरह सर्वोच्च न्यायालय ने इस तरह की याचिकाओं पर फैसला किया।

सुप्रीम कोर्ट के विचार के लिए जो मुद्दा उठाया गया वह थाः

अस्थायी रूप से नियुक्त कर्मचारियों (दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी तदर्थ रुप से नियुक्त और आकस्मिक आधार पर नियुक्त कर्मचारियों, ठेका कर्मचारियों आदि जैसे) कर्मचारी जो उसी काम को करते हैं जो स्वीकृत पदों पर नियमित आधार नियुक्त कमचारियों द्वारा किया जाता है, के आधार पर, न्यूनतम वेतन और साथ ही महंगाई भत्ते (समय–समय पर संशोधित रूप से) के हकदार हैं?

सर्वोच्च न्यायालय ने अंतर्निहित मसलों पर विहगंम दृष्टि डालते हुए ''समान काम के लिए समान वेतन'' को घोषित कानूनी सिद्धांत के तौर पर निरुपित किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के फैसलों और विवाद के विभिन्न पहलुओं पर दृष्टिपात करते हुए मानदण्डों का निरुपण किया। अदालत ने कर्नाटक राज्य के सचिव बनाम उमा देवी (2006) 9 एससीसी 514 के फैसले से अलग किया। पहले के फैसलों के विभिन्न कानूनी प्रस्तावों पर व्यापक चर्चा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय के अनुसार निम्नानुसार निष्कर्ष निकालाः

''इसमें कोई संदेह नहीं है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत संबंधित सभी अस्थायी कर्मचारियों पर लागू होगा, ताकि उनमें उसी पद पर नियमित रूप से लगे हुए सरकारी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतनमान के बराबर मजदूरी का दावा करने का अधिकार हो।''

विभागीय जाँच

आरोपित कर्मचारी की ओर से योग्य वकील द्वारा प्रतिनिधित्व

विभागीय जांच में कर्मचारियों को अक्सर भारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जब विभाग या नियोक्ता कानूनी तौर पर प्रशिक्षित व्यक्ति को जांच अधिकारी और प्रस्तुति अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है। कर्मचारी से कहा जाता है कि वह अपने मामले को स्वयं पेश करे या सहकर्मी/सह–कर्मचारी को शामिल कर ले। ऐसे मामलों में, मजदूर खुद को अहितकारी स्थिति में पाता है जो कि संतुलन को नियोक्ता या विभाग के पक्ष में झुकाता है। हालांकि, प्राकृतिक न्याय के लिए दोनों के लिए एक समान स्तर की आवश्यकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1983 में बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट बनाम दिलीप कुमार राघवेंद्रनाथ नाडकर्णी (1983) 1 एससीसी 124 में निम्नलिखित शब्दों में एक सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास कियाः –

''12 ..... हमारे विचार में हम अपने आगे की यात्रा में एक निष्पक्ष स्थिति के लिए एक बिन्दु पर पहुंच गए हैं, जहां घरेलू न्यायाधिकरण के समक्ष एक जांच में, आरोपित अधिकारी के खिलाफ एक कानूनी रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति को लगाया गया, अगर वह कानूनी पेशेवर के माध्यम से पेश होने की अनुमति चाहता है, और इस अनुरोध को स्वीकृति देने से इनकार करके अभियोजक, स्वयं का बचाव करने के उचित अनुरोध को अस्वीकार कर देंगे तो यह प्राकृतिक न्याय के आवश्यक सिद्धांतों का उल्लंघन होगा''।

उसके बाद आठ साल बाद, जे.के. अग्रवाल बनाम हरियाणा सीड्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड में सुप्रीम कोर्ट (1991) 2 एस. सी.सी. 283 ने ऐसी अनुमति के खंडन को अनुचित तरीका करार दिया।

उपरोक्त दो फैसलों के मद्देनजर, सर्वोच्च न्यायालय ने रमेश चंद्र बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय (2015) 5 एससीसी 549 में यह माना कि यदि कोई व्यक्ति जो एक कानूनी पेशेवर है या उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश सहित को एक कर्मचारी के खिलाफ जांच में एक जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, तो आरोपित कर्मचारी को एक कानूनी पेशेवर की सहायता से इन्कार करना अनुचित होगा। कानूनी तौर पर प्रशिक्षित एवं योग्य वकील के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने की अनुमति माँगने वाले एक आरोपित कर्मचारी का आवेदन सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन था जबकि जांच अधिकारी उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे और पेश करने वाले अधिकारी को जांच अधिकारी के समक्ष मामले पेश करने का पर्याप्त अनुभव था –*(सोम दत्त शर्मा महासचिव ऑल इण्डिया लॉयर्स यूनियन)*

उद्योग व क्षेत्र

योजना मजदूर

केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों का आहवान

17 जानवरी को होगी संयुक्त देशव्यापी हड़ताल

तीन वर्ष पहले, 45 वें भारतीय श्रम सम्मेलन ने यह सिफारिश की भी कि सरकार की विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत कार्यरत सभी योजना कर्मियों को 'मजदूर की मान्यता', 'न्यूनतम वेतन' 'पेंशन समेत सामाजिक सुरक्षा' प्रदान की जाये।

केन्द्र व राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं में कार्य करने वाले 1 करोड़ से ज्यादा योजना कर्मियों में आई सी डी एस के अंतर्गत आंगनवाड़ी व मिनी आंगनवाड़ी के 27 लाख कर्मी; मध्याह्न योजना के 28 लाख कर्मी व राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 10 लाख आशा कर्मी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त लाखों कर्मी सर्वशिक्षा अभियान, एन आर एल एम, एन सी एल पी, लधु बचत योजनाओं आदि में कार्यरत हैं। ये योजनायें स्वास्थ्य, पोशण, शिक्षा आदि की बुनियादी सेवाओं को जनता के व्यापक हिस्से को प्रदान करती हैं। इनके कर्मियों को 'मजदूर' नहीं माना जाता है, न्यूनतम वेतन नहीं दिया जाता और न ही उन्हें किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। 'मानदेय' या 'इंसेटिव' के नाम पर उन्हें बहुत ही मामूली भुगतान किया जाता है।

यही नहीं, मोदी सरकार कॉरपोरेट एन जी ओ को शामिल कर इनका निजीकरण करने समेत भारी बजट कटौतियों व ढांचागत बदलाव कर इन अहम योजनाओं को बंद करने की दिशा में बढ़ रही है। लाभान्वितों को, आधार व बैंक खातों को जोड़ने के नाम पर वास्तविकता में लाभों से वंचित किया जा रहा है। सरकार खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली योजनाओं सहित इन योजनाओं की सार्वभौम सेवाओं के स्थान पर नकद हस्तांतरण शुरू कर रही है। बजट कटौतियों व योजनाओं को तहस–नहस करने के प्रयासों से कर्मियों का पारिश्रमिक व योजनाओं की सुविधायें प्रभावित हो रही हैं

योजना कर्मियों की तीन प्रमुख फेडरेशनों ने योजनाओं को बचाने व बेहतर सेवा शर्तो के लिए अलग–अलग व संयुक्त रूप से कई संघर्ष किये है। सीटू की आंगनवाड़ी वर्कर्स व हैल्पर्स फेडरेशन, मिड–डे–मील फेडरेशन व कोर्डिनेशन कमेटी ऑफ आशा वर्कर्स ने संयुक्त रूप से दिसम्बर, 2016 में जिले स्तर पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किये व सांसदों से मिलकर ज्ञापन दिये। इसके बाद सीटू के 15 वें सम्मेंलन ने 20 जनवरी, 2017 की योजनाकर्मियों की एकदिवसीय देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया, जो शानदार रूप से सफल रही। स्थानीय व राज्य स्तर पर और भी संघर्ष हुए।

मजदूरों के महापड़ाव के आखिरी दिन, 11 नवम्बर को लगभग एक लाख योजना कर्मियों ने, जिनमें अधिकतर महिलायें थीं, महापड़ाव में भाग लिया। महापड़ाव ने योजना कर्मियों की एक दिवसीय अखिल भारतीय हड़ताल का फैसला लिया। 10 केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने संयुक्त रूप में 17 जनवरी, 2018 को योजना कर्मियों की अखिल भारतीय हड़ताल व जिला स्तरीय प्रदर्शन का फैसला लिया। इस बारे में एक बयान भी जारी किया गया। केन्द्रीय वित्त मंत्री के साथ बजट पूर्व विचार–विर्मश में केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने 45 वें आइ एल सी की सिफारिशों को लागू करने के लिए जरूरी वित्तीय आवंटन की माँग करते हुए एक संयुक्त ज्ञापन दिया।

केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों का बयान (2 दिसम्बर, 2017) : 17 जनवरी, 2018 की योजना कर्मियों की एक दिवसीय अखिल भारतीय हड़ताल और जिला स्तरीय संयुक्त प्रदर्शनों का आह्वान और माँगेः

1. 45 वें श्रम सम्मेलन की सिफारिशें लागू करो। कर्मचारी/मजदूर के रूप में मान्यता दो, सभी वर्कर्स को कम से कम 18000 रूपये मासिक वेतन दो, सभी वर्कर्स को 3000 रूपये मासिक पेंशन सहित सामाजिक सुरक्षा प्रदान करो। सभी वर्कर्स को ई एस आई व ई पी एफ के दायरे में लाओ।

2. केन्द्रीय योजनाओं आई सी डी एस, मिड–डे–मील, एन एच एम, एस एस ए, एन सी एल पी इत्यादि के सार्वभौमिकीकरण, बेहतर ढांचा खड़ा करने, गुणवत्तापरक सेवाओं के लिए तथा वर्कर्स के वेतन में कम से कम न्यूनतम तक बढ़ोतरी सुनिश्चित करने के लिए 2018–19 के केन्द्रीय बजट में पर्याप्त वित्तिय प्रावधान करो।

3. किसी भी रूप में योजनाओं का निजीकरण करना बंद करो तथा लाभार्थियों को दी जा रही सुविधाओं को बंद कर उनके स्थान पर नकदी के हस्तातंरण को प्रतिबंधित करो।

विक्रय संवर्धन

मुंबई में फील्ड वर्कर्स की विशाल रैली

अपने राष्ट्रीय संघ एफ.एम.आर.ए.आई. के बैनर के तले, भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से, राज्य संघों और सीटू के झंडे और बैनर के साथ आऐ 20,000 विक्रय संवर्धन कर्मचारी जिन्हे आम तौर पर मेडिकल एण्ड सेल्स रिप्रिजेन्टेअिव्स के रूप में जाना जाता है, ने मुंबई की सड़कों पर अपने राज्य की भाषा में नारे लगाते हुए ऐतिहासिक आजाद मैदान में 13 नवंबर को अखिल भारतीय रैली और आम सभा आयोजित करने के लिए शहर में एकत्र हुए जहाँ अधिकतर फार्मा कंपनियों के मुख्यालय है। पश्चिम बंगाल से करीब एक हजार, का मजबूत दल रैली में शामिल नहीं हो सका क्योंकि उन्हे लेकर आने वाली विशेष ट्रेन देरी से रैली के बाद पहुँची थी।

रैली को संबोधित करते हुए सीटू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एके पद्मनाभन ने भाजपा की अगुवाई वाली केन्द्र और महाराष्ट्र राज्य सरकारों के सत्तावादी शासन की निंदा की और कहा कि मुंबई में फील्ड वर्कर्स की रैली और दिल्ली में एकजुट मजदूरों के महापडाव में समानता है – देश की लूट और उसकी संप्रभुता को नष्ट करने के लिए एक महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार को चुनौती दे रही है और दूसरी केन्द्र में मोदी सरकार को; मजदूरों और किसानों के अधिकारों और आजीविका को लूटा जा रहा है; बढ़ती कीमतों के असहनीय बोझ को नोटबन्दी और जीएसटी ने और भी अधिक बढ़ा दिया है; कॉरपोरेटस् को फण्ड मुहैया कराने के लिए जनता के कल्याणकारी उपायों में कटौती करके स्वास्थ्य की देखभाल और शिक्षा को बेहद घटिया किया जा रहा है; उसके भी ऊपर इनका सांप्रदायिक और विभाजनकारी एजेंडा है।

एफ.एम.आर.ए.आई. के महासचिव शान्तनु चटर्जी ने अपने संबोधन में फील्ड वर्कर्स की माँगों और शून्य जी.एस.टी. पर सभी दवाइयों की उपलब्धता के बारे में जनता की माँगों के बारे में समझाया। विक्रय संवर्धन कर्मचारियों के लिए 'सांविधिक कामकाजी नियमों' की माँग के लिए किए गए संघर्ष के चलते त्रिपक्षीय श्रम स्थायी समिति द्वारा की सिफारिश की गई है। कार्यान्वयन के अभाव और एसपीई अधिनियम के उल्लंघन ही फील्ड वर्कर्स के आंदोलन के मुख्य कारण हैं।

सीटू के नेताओं, राज्य अध्यक्ष डा० डी.एल. कराड, महासचिव एम.एच. शेख और महेंद्र सिंह ने सफल रैली के आयोजन और लड़ाई की भावनाओं के लिए फील्ड वर्कर्स का स्वागत किया। एफ.एम.आर.ए.आई. की महाराष्ट्र राज्य इकाई, एम.एस.एम.आर.ए. के महासचिव श्रीकांत फोप्से ने प्रतिभागियों को बधाई दी। एफ.एम.आर.ए.आई. के अध्यक्ष आर. विश्वनाथन ने अध्यक्षता की।

शांतनु चटर्जी, डी.एम. देशपांडे, के.बी. कदम और टी कामेश्वर राव के साथ एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के प्रमुख श्रम सचिव से मुलाकात की और मुद्दों और माँगों पर ज्ञापन प्रस्तुत किया।

राज्यों से

राजस्थान

रेत नहीं, निर्माण मजदूरों के लिए काम नहीं, भुखमरी का सामना

संयुक्त मंच में संगठित राजस्थान में निर्माण मजदूरों की 8 यूनियनों के प्रतिनिधियों ने 23 दिसंबर को मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन प्रस्तुत करके राज्य में रेत की खदानों को फिर से खोलने की सर्वोच्च न्यायालय से – और पारदर्शी रेत खनन नीति को अपनाने की मांग की है।

खानों से रेत न निकाले जाने ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्माण कार्य में लगे हुए लगभग 1 करोड़ लोगों को प्रभावित किया हैं और उन्हे भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है। प्रतिनिधिमंडल में सीटू यूनियन से मोर्चा के संयोजक हरेंद्र सिंह, बिजय सिंह तांबर, हरकेश बुगैलिया, रामप्रसाद गुर्जर, मदन लाल पारिख, बाबु लाल बैरवा, अनिता देवी और अन्य शामिल थे। *(द्वारा: हरेंद्र सिंह)*

आई टी व आई टी ई एस

कर्मचारियों का सामूहिक उत्पीड़न

वेरीजॉन डेटा सविसेज इंडिया (वी डी एस आई), अमेरिका स्थित वेरीजॉन कम्युनिकेशंस इंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी है। वी डी एस आई ने 12 दिसम्बर को देश भर में 'रोल रेशनेलाइजेशन' के नाम पर विभिन्न श्रेणियों के 993 कर्मचारियों की सामूहिक छंटनी कर दी। चेन्नई व हैदराबाद में सबसे ज्यादा कर्मचारियों को निकाला गया।

चेन्नई में कंपनी की आर एम जेड इकाईयो से 200 से ज्यादा कर्मचारियों को बाहर कर दिया गया। प्रबंधन ने ऐसा करने के लिए जो तरीका अपनाया उसमें कर्मचारियों को 'रोल रेशनेलाइजेशन पेनल' के सामने व्यक्तिगत रूप से पेशी के लिए बुलाया गया तथा वहाँ उनके पहले से तैयार रखे गये इस्तीफों व 'फुल व फाइनल सेटलमेंट एग्रीमेंट' पर दबाव डालकर हस्ताक्षर करा लिये गये और फिर उन्हें सुरक्षा कर्मियों के रूप में रखे गये बाहुबलियों के द्वारा बाहर का रास्ता दिखा दिया गया।

उत्पीड़न का शिकार बने और दबाव में हस्ताक्षर करने वाले एक कर्मचारियों ने बताया, ''बाउंसरों ने मुझे मेरी कुर्सी पर घकेल दिया और मेरे हस्ताक्षर करने तक मुझे कंधों से पकड़े रखा। यह बहुत ही कठिन और बेईज्जती वाला अनुभव था। मैं अच्छा काम कर रहा था और उन्होंने मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव किया।''

काग्नीजेंट इंफोसिस व विपरो सहित 6 प्रमुख आइ टी कंपनियों ने इस वित्तीय वर्ष के पहले 6 महीनों में लगभग 4000 आइ टी मजदूरों को हटा दिया है। कर्मचारियों की यूनियन, यूनाईट ने इसके खिलाफ फौरन ही एक शिकायती पत्र श्रमायुक्त को दिया। 13 दिसम्बर को, श्रमायुक्त ने एक श्रम निरीक्षक को बी टी एस आई परिसर में जाँच के लिए भेजा था और प्रबंधन को चर्चा के लिए बुलाया। इसके बाद उपश्रमायुक्त के स्तर पर 15 दिसम्बर को त्रिपक्षीय बैठक हुई।

त्रिपक्षीय बैठक में, वी डी एस आई प्रबंधन ने सामूहिक छंटनी/रोजगार से हटाने व कर्मचारियों को डराने–धमकाने की बात से इनकार किया। औद्योगिक विवाद के संबंध में कंसीलिएशन के लिए मामले की संख्या 7882/2017 है तथा इसमें अगली तारीख 9 जनवरी, 2018 है। यूनाईट ने एक बयान में समूची आई टी व आई टी ई एस इंडस्ट्री के कर्मचारियों से बी डी एस आई प्रबंधन की अन्यायपूर्ण कार्यवाही के खिलाफ खड़े होने व उत्पीड़न के शिकार कर्मचारियों के साथ एकजुटता व्यक्त करने की उपी की है, जिन्होने अपने जीवन का सबसे अच्छा समय कंपनी के लाभ के लिए लगाया है। *(योगदान : के सी गोपी कुमार)*

चाय

चाय बागान मजदूरों पर गोली व उन्हें घायल करने के खिलाफ सीटू का विरोध

असम में बंद व विरोध

असम के गोलाघाट जिलें में एक दिन पूर्व बोगीढ़ाला चाय एस्टेट के मालिकों द्वारा पुलिस की उपस्थिति में बागान मजदूरों पर गोली चलाने और 15 मजदूरों को गंभीर घायल करने की घटना के खिलाफ चाय जनजाति के विभिन्न जन संगठनों द्वारा बुलाये गये स्वयंस्फूर्त व सम्पूर्ण गोलाघाट जिला बंद का सीटू ने समर्थन किया। राज्य के विभिन्न हिस्सों में मजदूर काम बंद कर चाय बागानों से बाहर सड़कों पर आ गये, मालिकों के पुतलों को फांसी पर लटका दिया और श्रम मंत्री का पुतला फूंका। उसी दिन, सीटू की असम राज्य समिति ने राजधानी गुवाहाटी में एक जुझारू रैली व प्रदर्शन किया जिसमें छात्र, युवा, महिला व किसान संगठन भी शामिल हुए।

14 दिसम्बर को नई दिल्ली में जारी किये गये एक बयान में सीटू ने मजदूरों पर गोली चलाये जाने की कड़ी भर्त्सना करते हुए कहा कि जहाँ लम्बे समय से बकाया वेतन न मिलने से भुखमरी व संकट का सामना कर रहे मजदूर, वेतन की माँग करने चाय बागान मालिक के बंगले में स्थित कार्यालय पर गये थे, बिगडैल चाय बागान मालिकों ने शांतिपूर्ण ढंग से जमा मजदूरों पर गोली चलाकर उन्हें घायल कर दिया।

विरोध रैली

पुलिस द्वारा लाठी चार्ज

''यह अत्यंत निंदनीय है कि मजदूरों पर अपना लम्बे समय से बकाया वेतन माँगने के लिए गोली चलाई गई। मजदूरों द्वारा पहले ही कर दिये गये काम के लिए वेतन का भुगतान व करना मालिकों का एक गंभीर अपराध है।'' मजदूरों पर ऐसे अत्याचार करने वाले मालिकों के हौंसले इसलिए बुलंद है क्योंकि राज्य व केन्द्र में भाजपा का शासन उनके 'ईज ऑफ डईंग बिजनेस' के एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है, सीटू ने कहा। सीटू ने चाय बागान मालिकों को तुरन्त गिरफ्तार करने, उनके आपराधिक कृत्य के लिए सख्त कार्यवाही करने, सभी बकायों का तुरन्त भुगतान किये जाने की माँग की है।

मजदूरों व जनता के आंदोलन ने आनाकानी कर रही पुलिस को दो दोषी मालिक बंधुओं को गिरफ्तार करने व मुख्यमंत्री को धायल मजदूरों के लिए मुआवजे की धोषणा करने पर मजबूर किया।

लेकिन, सरकारी अस्पतालों में भर्ती होने के बावजूद घायल मजदूरों को न तो घोषित मुआवजा मिला और न ही मुफ्त ईलाज। मजदूरों के स्थानीय नेता जिला प्रशासन को ज्ञापन देने के बाद जब इस तथ्य को प्रेस के सामने रख रहे थे पुलिस ने अचानक लाठी चार्ज शुरू कर दिया और राइफलों के बटों से उन्हें पीटा जिसमें बिधुल सैकिया, देबब्रता सैकिया व मृणाल कुमार नाथ गंभीर रूप से घायल हो गये। मुख्य मंत्री द्वारा विश्वासघात व पुलिस द्वारा चाय बागान मजदूरों पर हमले के खिलाफ लोगों ने 20 दिसम्बर को एक बार फिर गोलाधाट जिला बंद किया। *(सीटू के बयान व गणशक्ति से)*

बिजली

एन टी पी सी के ऊंचाहार संयन्त्र में हुई दुर्घटना से संबंधित तथ्य

6 नवम्बर को राज्य किसान सभा के महासचिव मुकुट सिंह व सीटू राज्य केन्द्र से राहुल मिश्रा व जिले के नेताओं तथा सी पी आइ–एटक के राज्य नेताओं की एक संयुक्त तथ्य पता लगाओ टीम ने उत्तरप्रदेश के रायबरेली जिले के ऊंचाहार में एन टी पी सी पॉवर प्लांट में दुर्धटना स्थल का दौर किया जहाँ 1 नवम्बर को हुई दुर्घटना में 43 मजदूरों की मौत हुई थी और कई अन्य गंभीर घायल हो अस्पतालों में दाखिल हुए। *(सीटू मजदूर; दिसम्बर 2017)* संयन्त्र में सीटू व एटक यूनियनों के नेता भी इस टीम के साथ थे।

दुर्घटना, प्लांट की नई लगाई गई 6 ठी यूनिट में घटी थी। विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों ने जानकारी दी कि यूनिट, दुर्घटना से पहले तीन दिन से लगातार खराबी दिखा रही थी। स्थानीय प्रबंधन ने, तकनीकी खराबी को ठीक करने के लिए ऊपर के अधिकारियों से यूनिट को बंद करने की स्वीकृति मांगी थी। लेकिन एन टी पी सी के उच्च प्रबंधन ने इससे इनकार कर, यूनिट को चालू रखने की मजबूरी पैदा की। अंततः इसका परिणाम घटित दुर्घटना के रूप में हुआ जिसमें बड़ी संख्या में मजदूरों की मृत्यु हुई व गंभीर घायल

हुए। यह भी बताया गया कि अलार्म सिस्टम काम नहीं कर रहा था; सुरक्षा उपायों में गंभीर खामियां थीं और श्रम कानूनों का भारी उल्लंधन हो रहा था।

इस दुर्घटना में मरने व घायल होने वालों में तीन ए जी एम रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं तथा शेष सभी ठेका मजदूर थे। संयन्त्र में 446 स्थायी व 3000 ठेका मजदूर हैं। दुर्घटना के समय प्लांट में काम कर रहे कुल ठेका मजदूरों व मास्टर रोल में दर्ज एंट्री की संख्या पर संदेह जताया गया है। दुर्घटना के तुरन्त बाद बाकी ठेका मजदूरों को रात के अंधेरे में दूर–दराज स्थानों पर भेज दिया गया ताकि उन्हें किसी भी जाँच–पड़ताल से दूर रखा जा सके।

जी एम– एच आर, ए जी एम व एक सीनियर मैनेजर सहित संयन्त्र के अधिकारियों ने 'तथ्य पता लगाने गई' टीम से मुलाकात की, उन्हें मृत व धायल मजदूरों की एक सूची सौंपी तथा घायलों के इलाज के लिए किये गये प्रबंध की जानकारी दी। उन्होंने, छोटे–मोटे ठेकेदारों की भी एक सूची दी तथा दुर्घटना के बारे में विभिन्न मुद्दों की जाँच के लिए नियुक्त जाँच दल के बारे में बताया। उन्होंने यह भी बताया कि एन टी पी सी ने ईलाज के अलावा हर मृत मजदूर के परिवार को 20 लाख रूपये, गंभीर धायल के लिए 10 लाख व मामूली घायल के लिए 2 लाख रूपये मुआवजे की घोषणा की है। केन्द्र व राज्य सरकारों ने अलग से अतिरिक्त मुआवजे की घोषणा की है।

जाँच टीम ने यह मुद्दा उठाया कि नई ईकाई में बिना उचित सुरक्षा जाँच के उत्पादन क्यों शुरू किया गया और दुर्घटना से पहले खराबी उजागर होने के बावजूद ईकाई को क्यों चालू रखा गया; अज्ञात कारणवश संयन्त्र को रात 10 बजे से सुबह के 2.30 बाजे तक पूरी तरह अंधकार में क्यों रखा गया; दुर्घटना के समय संयन्त्र में कार्यरत कुल ठेका मजदूरों की संख्या को गुप्त क्यों रखा गया; मास्टर रोल आखिर कैसे गायब हो गये; श्रम कानूनों का उल्लंधन कैसे हो रहा था; तथा दुर्घटना में मृत व घायल लोगों के बीच भेदभाव क्यों बरता गया। प्रबंधन के पास इन प्रश्नों का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं था।

ए आई के एस– सीटू जाँच दल ने एन टी पी सी की ओर से प्रत्येक मरने वाले के परिवार को 50 लाख व घायल मजदूर को 5 लाख रूपये मुआवजा, उन्हें मुफ्त व बेहतर ईलाज, गंभीर घायलों को धोषित 10 लाख के मुआवजे से अलग; श्रम कानूनों व सुरक्षा उपायों की सख्त पालना; ठेका मजदूरों को नियमित करने; ऐसी दुर्घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए तुरन्त कदम उठाये जाने; उच्च स्तरीय निष्पक्ष जाँच व दोषियों को सख्त सजा दिये जाने की माँग की। *(योगदान : मुकुट सिंह)*

प्रतिरक्षा

बी डी एल में पेंशन में भेदभाव में खिलाफ

13 दिसम्बर को केन्द्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन को लिखे पत्र में सीटू महासचिव व सांसद तपन सेन ने मंत्री का ध्यान, गत 15 नवम्बर से, रक्षा उत्पादन में लगी सार्वजनिक क्षेत्र की मिनी रत्न कंपनी, भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बी डी एल) के तेलंगाना व आंध्रप्रदेश स्थित सभी ठिकानों में पेंशन स्कीम में भेदभाव के खिलाफ क्रमिक भूख हड़ताल सहित जारी कर्मचारी आंदोलन की ओर दिलाया। एक्जीक्यूटिव्स के लिए, एम्पलाईज पेंशन निधि में प्रबंधन का अंशदान डी पी इ दिशा निर्देशों के अनुरूप बेसिक का 7 प्रतिशत जमा डी ए है। इसे एक्जीक्यूटिवों के मामले में जहाँ 1 जनवरी, 2007 से लागू किया जा रहा है वहीं गैर–एक्जीक्यूटिवों का यह लाभ नहीं दिया जा रहा, जबकि कर्मचारियों के परिश्रमिक व सामाजिक सुरक्षा लाभों व उनके समय–समय पर रिवीजन के लिए डी पी ई के दिशा– निर्देश दोनों के लिए एक जैसे हैं। इसलिए नॉन– एक्जीक्यूटिव श्रेणी को पेंशन स्कीम के इस लाभ से वंचित रखने का कोई करण नहीं है, तपन सेन ने जोर देकर कहा।

शीर्ष पर बैठे व्यक्ति समेत बी डी एल प्रबंधन के लिए यह मुद्दा नैतिकता व पेशेवराना तरीके का भी है, जो अपने लिए तो पेंशन स्कीम के लाभ लागू कराते है जबकि मजदूरों व अन्य कर्मचारियों को उनसे वंचित रखते हैं।

तपन सेन ने रक्षा मंत्री से अनुरोध किया कि वह पेंशन योजना लाभों को एक्जीक्यूटिव व गैर–एक्जीक्यूटिव कर्मचारियों के मामले में, प्रबंधन के एक्जीक्यूटिव को दिये जाने वाले योगदान के समान ही 1 जनवरी, 2017 से लागू करने का निर्देश बी डी एल प्रबंधन को दें। अंततः 21 दिसम्बर को, प्रबंधन व सीटू की मान्यता प्राप्त भारत डायनामिक्स एम्पलाइज यूनियन इस पर सहमत हुए कि गैर–एक्जीक्यूटिव कर्मचारियों के लिए भी प्रबंधन की ओर से पेंशन में बेसिक के 6 प्रतिशत अंशदान जमा डी ए को 1 जनवरी, 2007 से लागू माना जायेगा। अगले वेतन रिवीजन के समय, 1 जनवरी, 2018 को इसकी समीक्षा भी की जायेगी। इस समझौते पर पहुँचने के बाद आंदोलन समाप्त किया गया।

सार्वजनिक क्षेत्र

डी.सी.आई. की बिक्री के विरोध में वेंकटेश ने आत्महत्या की

कर्मचारियों ने आन्दोलन तेज किया

एन. वेंकटेश (29 वर्षीय) ने 4 दिसंबर को आत्महत्या कर अपने जीवन को समाप्त कर दिया और एक आत्महत्या नोट छोडा है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की 73.47% हिस्सेदारी (डीसीआई) और विशाखापत्तनम् स्थित इसके कॉरपोरेट कार्यालय सहित निगम की स्ट्रेटेजिक सेल के खिलाफ अपना आखिरी जोरदार विरोध दर्ज किया गया है। वेंकटेश 2012 में डीसीआई के कॉरपोरेट कार्यालय में मानव संसाधन विभाग में नियुक्त हुए थे। वह अपनी दो बहनों और माता–पिता के साथ परिवार का एकमात्र कमाने वाला था।

डीसीआई के निजीकरण के निर्णय को रद्द करने की मोदी सरकार से माँग करते हुए, अधिकारियों सहित कर्मचारी अगले दिन हड़ताल पर चले गऐ; वेंकटेश के परिवार को 50 लाख रूपये और एक परिवार के सदस्य को नौकरी का मुआवजा देने की माँग की। उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल सहित आंदोलन को तेज करने के बारे में सरकार को अल्टीमेटम भी दिया है। हड़ताल की सूचना पहले से ही दे दी गई है। कर्मचारियों ने 27 नवंबर से जारी अपनी क्रमिक भूख हड़ताल के स्थल पर वेंकटेश को पुष्प श्रद्धांजलि अर्पित की।

5 दिसंबर को सीटू द्वारा बुलाई गई एक बैठक में हुए निर्णय के अनुसार, सभी पीएसयू यूनियनों ने अगले दिन विशाखापट्टनम में सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों के सामने विरोध प्रदर्शन किए।

पी.के. सेठी, संयुक्त महाप्रबंधक, ने बताया कि 'इसकी परिसंपत्तियों के मूल्यांकन को कम करके, सरकार इसे सिर्फ 1500 करोड़ रुपये में बेचना चाहती है।' उन्होंने कहा कि डीसीआई दुनिया की 10 शीर्ष ड्रेजिंग कंपनियों में से एक रही है।' *(द हिंदू)*

दिल्ली से जारी सीटू के बयान में डीसीआई के निजीकरण के फैसले के लिए और वेंकटेश की आत्महत्या के लिए सीधे जिम्मेदार होने के लिए मोदी सरकार की निंदा की। बयान में कहा गया है कि जब वेंकटेश एक प्रतिनिधिमंडल में स्थानीय भाजपा सांसद और क्षेत्र के भाजपा विधायक से मिला और उनसे हस्तक्षेप का अनुरोध किया, दोनों ने इस आधार पर इन्कार कर दिया कि केंद्र में भाजपा सरकार ने डीसीआई के निजीकरण का निर्णय पहले ही ले लिया है,

डीसीआई लाभ कमा रहा है और नगदी सहित बड़ी संपत्ति उत्पन्न कर रहा है। डीसीआई ने सभी प्रमुख और छोटे बंदरगाहों पर राष्ट्रीय समुद्री और नौवहन सुविधाएं बनाए रखी हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और कार्गो संचालन को सुविधाजनक बनाया है और देश के बाहर भी समुद्र के तल मार्जन की सेवाओं का विस्तार करके विदेशी मुद्रा कमा रहा हैं। कॉरपोरेट हितैषी मोदी सरकार द्वारा राष्ट्रीय संपत्ति को निजी पूंजीपतियों के हाथों में स्थानांतरित करने का एक और उदाहरण है।

सीटू ने मृतक के परिवार को पर्याप्त मुआवजे और परिवार के किसी सदस्य को नौकरी की माँग की है; डीसीआई कर्मचारियों के चल रहे संघर्ष के साथ एकजुटता में पूर्ण समर्थन दिया और समर्थन के लिए भारत के मजदूर वर्ग से अपील की है।

डीसीआई की स्ट्रेटेजिक सेल के विरोध में डीसीआई के अधिकारियों सहित सभी कर्मचारीगण 20–22 दिसंबर को 3 दिन की सफल हड़ताल पर रहे। विशाखापत्तनम में डीसीआई मुख्यालय में, हड़ताल 95% थी जबकि गैर–अधिकारियों के लिए यह 100% था। कोच्चि में डीसीआई के फ्लोटिंग स्टाफ भी 20 दिसंबर को एक दिन के लिए हड़ताल में शामिल हुए।

हड़ताल के बाद भी क्रमिक भूख हड़ताल जारी है और सभी कोनों से समर्थन प्राप्त हो रहा है। एन.यू.एस.आई. और एम.यू.आई. के नेता, सीमैन की यूनियनों ने आंदोलन स्थल का दौरा किया और प्रत्येक संघ से वेंकटेश के परिवार को 2 लाख रुपये देने की घोषणा की गयी है।

टेलीकॉम

बी.एस.एन.एल. की राष्ट्रव्यापी दो दिवसीय हड़ताल

बी.एस.एन.एल. की सभी 13 यूनियनों और संघों के संयुक्त आह्वान पर; गैर–कार्यपालक और कार्यपालक कर्मचारी 12–13 दिसंबर को पूरे देश में सभी विभागों में, सभी राज्यों में, सभी सर्किलों में, हड़ताल पर रहे। हड़ताल में ठेका एवं कैजुअल मजदूर भी शामिल रहे। हड़ताल की मुख्य माँगों में 2011 से लंबित तृतीय वेतन संशोधन; द्वितीय वेतन संशोधन कीं विसंगतियों दूर करने; और 90,000 से अधिक बी.एस.एन.एल. टावरों को, बी.एस.एन.एल. की सहायक कंपनी टॉवर कंपनी के रूप में निजी हाथों में सौंपने का प्रस्ताव का विरोध शामिल हैं।

हड़ताली गैर–कार्यपालक और कार्यपालक कर्मचारियों ने अपने संबंधित प्रतिष्ठानों के सामने प्रदर्शनों का आयोजन किया और अपनी माँगों पर नारे लगाए और अपने आकाओं को हड़ताल के बारे झूठी रिपोर्ट देने के लिए स्थानीय प्रबंधन की निंदा की; और सभी यूनियनों और संघों के नेताओं द्वारा संबोधित बैठकों को आयोजित करके बी.एस.एन.एल. घाटे के मुख्य कारण के रूप में सरकार की नीतियों और कार्यवाहियों को जिम्मेदार होने का आरोप लगाया।

हड़ताल के सफल निष्कर्ष पर, एक संयुक्त बैठक में सभी यूनियनों और संघों ने हड़ताल की सफलता के लिए श्रमिकों को बधाई दी और निर्णय लिया कि भविष्य में कार्रवाई के बारे में निर्णय लेने के लिए 8 जनवरी को राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।

घनिष्ठ मित्रतापूर्ण पूँजीवादः कॉरपोरेट ऋण बकाएदारों के लिए राजक्षमा

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 2.11 लाख करोड़ रुपये की भारी राशि का भुगतान करने का केंद्र सरकार का फैसला एक ऐसे समय आया जब बैंकों पर भारी गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) का बोझ बढ़ता जा रहा है। 11.5 लाख करोड़ रुपये के ब्याज सहित एनपीए की वसूली के लिए बकाएदार कॉरपोरेट्स के पीछे लगने के बजाय सरकार ने असलियत में इन कर्जों के बकाएदारों को माफ कर दिया है।

बीजेपी सरकार ने अपने 3 वर्षों के शासन के दौरान, 2 लाख करोड़ रुपए के कॉरपोरेट कर्जों की माफी की है। कॉरपोरेटों के लिए इस मेगा रियायत को अब इस पुनर्पूंजीकरण के सार्वजनिक वित्त पोषण के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। सरकार का यह कदम, कॉरपोरेटों द्वारा लूट लिए गए बैकों को भारत की जनता द्वारा जमानत पर छुड़ाने के समान ही है।

घनिष्ठ मित्रतापूर्ण पूंजीवाद की इससे बुरी कोई अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है। जबकि कृषि संकट के कारण आत्महत्या करने वाले किसानों के लिए ऋण माफी अस्वीकार कर दी गयी है, और करोड़ों भारतीयों द्वारा बैंकों में जमा की गयी धनराशि से लिऐ गऐ कर्जों को माफ करने के लिए उन कॉरपोरेट्स को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

वित्त मंत्री का यह तर्क कि यह पुनर्पूंजीकरण बैंकों को अधिक कर्ज देने के लिए सक्षम बनाऐगा, जिससे उच्च निवेश होगा, और जो बदले में, रोजगार एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा; पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण है। निवेशों में वृद्धि, रोजगार और वृद्धि दर में बढ़ोत्तरी नहीं कर सकती है। सिकुड़ते व्यापार की दुनिया में, भारतीय निर्यात 20 साल में सबसे नीचे चला गया है और काफी कम क्रय शक्ति दर्ज होने के साथ ही, नोटबन्दी और जीएसटी के कारण, घरेलू मांग में भारी कमी आई है।

अंर्तराष्ट्रीय वित्तीय पूंजी के दिशा– निर्देशों पर सरकार, देशी–विदेशी कॉरपोरेटस् के हितो की रक्षा में नव–उदारवादी आर्थिक सुधारों के पीछे लगी हुई है। सरकार के इन कदमों के कारण हमारी जनता को विशाल बहुमत पर भारी बोझ बढ़ेगा।

(सीपीआई (एम) पॉलिट ब्यूरो के बयान से)

राज्यों से

त्रिपुरा

मजदूरों की विशाल रैली

विधान सभा चुनावों में वामपंथ को जिताने का आह्वान्

सीटू ने केन्द्र सरकार द्वारा कामगारों के अधिकारों में कटौती और मेहनतकश जनता के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को वापस लेने के खिलाफ और आठवें कार्यकाल के लिए राज्य में वाम मोर्चा सरकार के गठन के माध्यम से राज्य के श्रमिक लोगों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए 26 नवंबर को राज्य की राजधानी अगरतला में विवेकानंद मैदान में श्रमिकों की विशाल राज्य स्तरीय रैली का आयोजन किया जिसमें अन्य मेहनतकश जनता ने बड़ी संख्या में शिरकत की। पूरा अगरतला शहर लाल रंग के समुद्र में बदल गया।

रैली को संबोधित करते हुए, सीटू की राष्ट्रीय अध्यक्ष के. हेमलता ने श्रमिकों और अन्य मेहनतकशों पर मोदी सरकार के हमलों की प्रकृति; और इन हमलों के खिलाफ लोगों के बढ़ते देशव्यापी विरोध के बारे में वर्णन किया। 9–11 नवंबर को लाखों मजदूरों को राष्ट्रीय महापडाव में लामबन्द किया और संसद पर 20–21 नवंबर को विशाल एकजुट किसान संसद के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। दोनों कार्यक्रमों में भविष्य के देशव्यापी आंदोलन सत्याग्रह, गिरफ्तारी और हड़ताल की घोषणा शामिल थे। संसद से पहले इन विरोध प्रदर्शनों में त्रिपुरा से भी बड़ी संख्या में मजदूर और किसान शामिल हुए।

हेमलता ने कहा कि मजदूर, किसान और अन्य लोग पूछ रहे हैं कि 'अच्छे दिन' कहाँ हैं; हर साल 2 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं; उत्पादन लागत पर 50% जोड़कर कृषि उत्पादों के लिए एम.एस.पी. कहाँ है; ये सभी वायदे चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी और भाजपा ने किए थे।

मजदूर न्यूनतम वेतन की माँग कर रहे हैं जैसा कि त्रिपक्षीय बैठक द्वारा तय किया गया था; आशा, आंगनवाड़ी, मिड डे मील जैसे योजना कर्मी नियमित कामगारों के रूप में माने जाने की माँग कर रहे हैं, जैसी कि 45वें भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा अनुशंसा की गयी थी। लेकिन मोदी सरकार ने अपने मुद्दों पर कम से कम सहानुभूति दिखायी।

हेमलता ने कहा कि त्रिपुरा के मजदूर और जनता, आगामी विधानसभा चुनावों में वाम मोर्चा की अधिक जीत और अधिक सीटों की जीत सुनिश्चित करके, मजदूरों और किसानों के देशव्यापी संघर्षों को प्रोत्साहन देंगे और मोदी सरकार की विदाई की घंटी बजा देंगे।

श्रमिकों की विशाल रैली को संबोधित करते हुए, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक सरकार ने कहा कि मोदी सरकार देश की कुल श्रम शक्ति के 95% वाले असंगठित क्षेत्र सहित मजदूरों पर हमला कर रही है; और पीएसयू का निजीकरण कर रही है जो कि लोगों की संपत्ति है; आम जनता, छोटे एवं मध्यम दर्जे के उद्यमियों और व्यापारियों पर नोटबन्दी और जीएसटी के प्रतिकूल असर और गरीब जनता और कामकाजी लोगों से बीजेपी द्वारा किए गए चुनावी वायदों के विश्वासघात आदि के बारे में विस्तार से बताया।

माणिक सरकार ने कहा कि केंद्र में आरएसएस–बीजेपी की अगुवाई वाली मोदी सरकार कॉरपोरेटों के लिए काम कर रही है, त्रिपुरा में वाम मोर्चा सरकार गरीबों, मजदूरों और मध्यम वर्ग के पक्ष में एक वैकल्पिक नीति पर चल रही है। वाम मोर्चा सरकार 4 लाख लोगों को कवर करने वाली 33 पेंशन योजनाओं सहित गरीबों और कामकाजी लोगों के लिए कल्याणकारी कदम उठा रही है; मजदूरों के सौदेबाजी के अधिकार; छोटे और मध्यम उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन; सरकारी पहल पर कौशल विकास के लिए योजनाऐं; असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए कल्याणकारी योजना आदि की शुरूआत। सभी षड्यंत्रों को असफल करते हुए, आगामी विधानसभा चुनाव में वाम मोर्चे की जीत के माध्यम से राष्ट्र के समक्ष इस वैकल्पिक नीति को उजागर किया जाना चाहिए।

त्रिपुरा के प्रति केंद्र की मोदी सरकार की भेदभावपूर्ण और विघटनकारी भूमिका को संबोधित करते हुए, माणिक सरकार ने कहा कि त्रिपुरा ने मनरेगा में देश में कई वर्षों से लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किया है। लेकिन, केंद्र सरकार ने काफी हद तक आवंटन कम कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप पिछले साल 82 दिनों के काम में इस साल 42 दिन काम किया गया। योजना आयोग के उन्मूलन के कारण त्रिपुरा को लगभग 4,000 करोड़ रूपये से वंचित किया गया है।

दूसरी ओर, भाजपा विभिन्न मंदिरों और तीर्थ स्थलों को अपवित्र करने के माध्यम से अशांति और सांप्रदायिक जुनून बनाने की कोशिश कर रही है; पत्रकार शांतनु भौमिक और चालक जीन देवनाथ की हत्या हुई है। प्रधान मंत्री का कार्यालय, 'अलग राज्य' की बेतुकी एवं अनुचित माँग करने वाले प्रतिबंधित एन.एल.एफ.टी. उग्रवादियों के ही एक विंग आई.पी.एफ.टी., के साथ दोस्ताना पीगें बढ़ा रहा है।

मानिक सरकार ने कहा कि इस चुनावी लड़ाई में मजदूर वर्ग की बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने उनसे आग्रह किया कि राजनीतिक संबद्धता के बावजूद हर किसी के साथ रहने वाले संपर्क बनाए रखें और कारणों और तर्कों के साथ तथ्यों को रखकर सभी के भ्रमों को दूर करें।

रैली को संबोधित करते हुए सीटू के राज्य महासचिव और सांसद शंकर प्रसाद दत्ता ने कहा कि वाम मोर्चे की सरकार में प्राप्त मजदूर वर्ग के अधिकार और सम्मान को बेहतर वाम मोर्चा सरकार के तहत बनाए रखा जा सकता है। इस प्रकार, अगले साल विधानसभा चुनाव में वाम मोर्चा की जीत सुनिश्चित करने के लिए काम करना मजदूरों का कर्तव्य है।

रैली की अध्यक्षता करते हुए, सीटू के राज्य अध्यक्ष और मंत्री माणिक डे ने मजदूरों के पक्ष में वाम मोर्चा सरकार के विभिन्न उपायों पर भी प्रकाश डाला।

ओडिशा

एमडी.एम. मजदूरों के संयुक्त मोर्चे की भारी सफलता

योजना कर्मचारियों की राष्ट्रीय माँगों और एमडीएम श्रमिकों की राज्य स्तरीय माँगों को लेकर 4 दिसंबर को, सीटू, एटक और ए.आई.यू.टी.यू.सी. की मिड डे मील वर्कर्स यूनियनों के संयुक्त मंच ने भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से 15,000 मिड डे मील के श्रमिकों ने जुलूस निकाला और राज्य विधानसभा के सामने पुलिस द्वारा लगायी गयी बाधा पर भारी रैली आयोजित करके प्रदर्शन और धरना किया। रैली और जन सभा को सीटू के राज्य के नेता लम्बोदर नायक, इसानी सारंगी, लोवाकांत स्वैन, रमेश जेना, उपेंद्र शर्मा, खोरामोनी मोहंता; एटक के सौरीबंधु कार, नारायण रेड्डी, बिज्या जेना; और ए.आई.यू.टी.यू.सी. के बिसनु दास, जयसेन मेहर ने संबोधित किया। सीटू के राधारमण सारंगी, एटक के देबाशीष घोष और ए.आई.यू.टी.यू.सी. की राजकिशोर मल्लिक ने अध्यक्षता की।

आंदोलनकारी यूनियनों के एक प्रतिनिधिमंडल ने स्कूल और जन शिक्षा राज्य मंत्री से मुलाकात की, ज्ञापन प्रस्तुत किया और माँगों पर लम्बी चर्चा की। राज्य सरकार की तरफ से मंत्री के साथ यूनियन प्रतिनिधियों के बीच एक समझौते पर पहुंचने पर धरने का समापन किया गया, और समझौते में रु० 1000 की वेतन में बढोत्तरी पर सहमति हुई जिसके तहत जनवरी से रु० 400 और अप्रैल, 2018 से रु० 600 की बढ़ोत्तरी के अनुसार भुगतान किया जाएगा और रु० 200 मूल्य की एक साड़ी सालाना मुहैया कराने तथा सभी हटाए गए कामगारों को रखा जाएगा; और भविश्य की बैठक में अन्य सभी माँगों पर चर्चा की जाएगी। *(द्वारा: रमेश जेना)*

आशा मजदूरों का अनिश्चितकालीन संयुक्त धरना सफलता के साथ सम्पन्न

ओडिशा में सीटू और एटक से सम्बद्ध आशा मजदूरों की यूनियनों ने संयुक्त रूप से 17 नवंबर से राज्य विधान सभा के समक्ष अनिश्चित दिन–रात के धरने का आयोजन किया, जिसमें मजदूरों के रूप में मान्यता देने की 45वीं आईएलसी की सिफारिशों को लागू करने, न्यूनतम वेतन का भुगतान, 18000 रुपये से कम नहीं, सामाजिक सुरक्षा जैसे पीएफ, पेंशन, बीमा और राज्य सरकार से प्रोत्साहन में वृद्धि सहित की तात्कालिक माँग, नियमित मासिक भुगतान सुनिश्चित करने, 60 साल की आयु प्राप्त करने पर अधिशेष लाभ के तौर पर एक लाख रूपए देने की माँगे शामिल हैं।

27 नवंबर को सीटू और एटक यूनियनों द्वारा संयुक्त रूप से संगठित, लगभग 10,000 आशा मजदूर, भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से जुलूस के रुप में चले और सरकार के सचिवालय और विधानसभा को जोड़ने वाले लोअर पीएमजी रोड पर पहुंचकर यह जुलूस एक विशाल रैली में बदल गया, तथा सड़क को अवरुद्ध कर दिया, इस रैली को सीटू के राष्ट्रीय और राज्य के नेता बिष्णु मोहंती, लम्बोदर नायक, जनार्दन पति, दुश्मंत दास; एटक के सौरीबन्दु कार, नारायण रेड्डी; एडवा की पुष्पा दास, एआईकेएस के जमेश्वर सामंतरे और आशा श्रमिक यूनियनों के नेताओं नलिनी साहू और सूर्या जेना ने सम्बोधित किया।

रैली के एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से मुलाकात की और माँगों पर चर्चा की। मंत्री ने विधानसभा सत्र के तुरंत बाद, प्रोत्साहनों के अतिरिक्त, आशा मजदूरों के लिए मासिक पारिश्रमिक तय करने के लिए सहमति व्यक्त की और बाद में दूसरी माँगों पर चर्चा करने के लिए सहमत हो गए। इस उपलब्धि पर, अनिश्चित कालीन दिन–रात के धरने को वापस ले लिया गया।

पंजाब

आंगनवाड़ी कर्मचारियों के जुझारु संघर्ष की विजय

चंडीगढ़ से 26 नवंबर को पीटीआई ने बताया कि पंजाब में आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने राज्यव्यापी विरोध का आह्वान किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने उन्हें आश्वासन दिया कि प्राथमिक स्कूलों में पूर्व–प्राथमिक कक्षाएं शुरू होने के बाद भी सरकार आँगनवाड़ी केंद्रों को बंद नहीं करेगी। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि स्कूल शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्राथमिक स्कूलों के परिसर में आंगनवाड़ी केंद्रों के सुचारु कार्य के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं।

पंजाब में सीटू की आंगनवाड़ी कर्मचारियों की यूनियन आँगनवाड़ी मुलाजिम यूनियन (ए.एम.यू.) के नेतृत्व में, पंजाब सरकार के फैसले को वापस लेने की माँग को लेकर, हजारों आँगनवाड़ी मजदूर और सहायक 67 दिनों के लंबे जुझारु राज्यव्यापी आंदोलन पर थे।

25,000 से अधिक आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने मोहाली, लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, भटिंडा, गुरदासपुर, संगरूर और तरनतारन में विजय रैलियाँ निकाली। जिन्हे सीटू के कई राष्ट्रीय एवं राज्य के नेताओं और ए.एम.यू. के नेताओं जिनमें सीटू के राज्य महासचिव रघुनाथ सिंह, आंगनवाडी संघ, ए.आई.एफ.ए.डब्ल्यू.एच. की अध्यक्षा उशा रानी और एएमयू अध्यक्ष हरजीत कौर और महासचिव सुभाश रानी सहित कई सदस्यों ने उन्हें शुभकामनाऐं और बधाई दी।

शिक्षा अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष की उम्र के बीच मुफ्त शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा इसका हिस्सा नहीं है। लेकिन, पंजाब सरकार ने गर्व से दावा किया, ''हम अपने सभी प्राथमिक स्कूलों में इन्हें शुरू करने वाले पहले राज्य हैं।'' स्कूली शिक्षा मंत्री अरुणा चौधरी ने कहा कि ''सब कुछ मुफ्त होगा'' हम आने वाले महीनों में मध्यान्ह भोजन और वर्दी प्रदान करने का प्रयास करेंगे।''

आँगनवाड़ी मजदूरों और हेल्पर्स फेडरेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष उषा रानी ने 17 नवंबर को द प्रिंट को बताया कि सरकार का ''यह कदम हमारी नौकरी छीन ले जाएगा, जब तक यह निर्णय वापस नहीं लिया जाता, तब तक हम विरोध करते रहेंगे।''

24 अक्टूबर को विरोध स्वरूप हजारों आँगनवाड़ी मजदूरों और सहायकों ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के पटियाला स्थित निवास का घेराव किया। कई नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया।

पंजाब में करीब 27,000 आंगनवाड़ी केंद्र हैं, जो आईसीडीएस के तहत चलते हैं, 0–6 साल की उम्र के बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। प्रत्येक आंगनवाड़ी में महिला मजदूर और एक सहायक है। आँगनवाड़ी केंद्र गर्भवती और दुग्धपान कराने वाली माताओं और छह माह से तीन वर्ष की आयु के बीच के बच्चों के लिए पूरक पोषण प्रदान करता है और तीन से छह साल की उम्र के बच्चों के लिए पूर्व–विद्यालय शिक्षा प्रदान करता है। पंजाब में इन केंद्रों में करीब 9.5 लाख बच्चे और 3 लाख महिलाएं पंजीकृत हैं।

उत्तर प्रदेश

विधान सभा पर घरेलू कामगारों की राज्य स्तरीय रैली

घरेलू कामगर महिला संगटन (सीटू) और असंगठित कामगार अधिकार मंच द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित, राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए सैकड़ों घरेलू कामगारों ने जुलूस निकाला और 4 दिसंबर को लखनऊ में विधानसभा के सामने रैली आयोजित की। 15 सूत्री माँगों के चार्टर के साथ एक ज्ञापन श्रम राज्य मंत्री को सौंपा गया। चार्टर में श्रम कानूनों और सामाजिक सुरक्षा कवरेज के लिए व्यापक केंद्रीय कानून की माँग; श्रम विभाग द्वारा पंजीकरण और पहचान पत्र जारी करना; न्यूनतम वेतन की अधिसूचना, काम के समय का निर्धारण, साप्ताहिक अवकाश का दिन और सवैतनिक अवकाश और छुट्टी की सुविधा; ग्रैच्युटी और पेंशन; निर्माण श्रमिकों के कल्याण बोर्ड की तरह कल्याण बोर्ड का गठन करना शामिल है। रैली को एडवा नेता किरण मोघे और मधु गर्ग, नीलम पांडे, स्मिता तिवारी और अन्य ने संबोधित किया था।रैली लखनऊ, आगरा और कानपुर और अन्य स्थानों में घरेलू श्रमिकों के आवासीय क्षेत्रों में महीने भर तक चले हस्ताक्षर अभियान का समापन थी। *(द्वारा: मधु गर्ग और गणषक्ति)*

हरियाणा

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया निजीकरण का विरोध

आंगनवाड़ी वर्कर्ज एंड हेल्पर्स यूनियन हरियाणा की ओर से गुडगाँव के जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं की एक आम सभा 27 दिसम्बर को कमला नेहरू पार्क में यूनियन की प्रधान मीना देवी की अध्यक्षता में हुई।

सभा में सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित कर गुडगाँव के सरहोल गांव के 10 आंगनवाड़ी केन्द्रों को किसी एन जी ओ के हवाले करने की कड़ी निंदा की गई। प्रस्ताव में कहा गया कि आंगनवाड़ी का निजीकरण करने की साजिश को सहन नहीं किया जायेगा और इन केन्द्रों में षड्यंत्र के तहत एन जी ओ का दखल करवाने की जो कोशिश है उसे बंद किया जाये। एन जी ओ के हवाले कर इन केन्द्रों को निजी हाथों में देने की साजिश के खिलाफ आंगनवाड़ी कर्मी व सहायक तीखे आन्दोलन के लिए मजबूर होंगे।

सभा में सीटू के राज्याध्यक्ष सतवीर सिंह ने केंद्र व राज्य की भाजपा सरकार की मजदूर, महिला व जन विरोध नीतियों की निंदा करते हुए कहा कि वर्करों को रू 18000/– मासिक न्यूनतम वेतन देने, पक्का कर्मचारी घोषित करने, आंगनवाड़ी का किराया देने तथा बकाया वेतन भुगतान करने की बजाय सरकार कर्मियों की रोजी रोटी ही छीनने के प्लान बना रही है जिसे कताई बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। आंगनवाड़ी वर्कर्ज एंड हेल्पर्स यूनियन हरियाणा की राज्य सचिव सरस्वती देवी ने कहा की आंगनवाड़ी, आशा व मिड डे मील की परियोजनाआसें में काम करनेवाली महिलाएं एकताबद्ध हो कर 17 जनवरी 2018 को देश व्यापी हड़ताल करेंगी और उसे सफल बनायेंगी।

आंगनवाड़ियों में किये जाने वाले इस बदलाव के विरूद्ध अपनी इस मांग को लेकर आंगनवाड़ी कर्मियों का एक प्रतिनिधि मंडल 2 जनवरी को परियोजना अधिकारी से मुलाकात भी करेगा। सभा में सुमन, कृष्ण यादव, निर्मल, मीना यादव, सुशीला कुमारी व अन्य काग्रकर्ताओं ने भाग लिया तथा हड़ताल को सफल बनाने की घोषणा की।

अंतर्राष्ट्रीय

येरूशलम पर अमेरिकी साम्राज्यवाद के कदम की निंदा

येरूशलम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता देने और तेल अवीव से अमेरिकी दूतावास को हटाने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कदम की 21 दिसम्बर को नई दिल्ली के बी टी आर भवन में ऑल इंडिया पीस एंड सॉलिडेरिटी आर्गेनाईजेशन (एपसो) द्वारा आयोजित एक बैठक में निंदा की गई। इस बठैक में सीटू व अन्य जन संगठनों के कार्यकर्ता तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालय जामिया मिलिया के छात्र शामिल हुए। यह कार्यक्रम, इस मुद्दे पर 15–21 दिसम्बर के बीच दुनिया भर में विरोध कार्यक्रम आयोजित करने के डब्ल्यू एफ टी यू के आह्वान के हिस्से के तौर पर था।

एपसो के महासचिव नीलोत्पल बसु ने कार्यक्रम का सँचालन व चर्चा की शुरूआत की। बैठक को संबोधित करने वालों में फिलस्तीनी दूतावास के डिप्टी चीफ डी मिशन डॉ. वाहेल अल्बेट रेखी, सीटू अध्यक्ष हेमलता, एपसो अध्यक्षमंडल के सदस्य, सांसद डी राजा, इसकी अन्य महासचिव प्रो. सोन्या गुप्ता व सीटू के राष्ट्रीय सचिव व डब्ल्यू एफ टी यू के उप–महासचिव स्वदेश देवरॉय शामिल थे।

वक्ताओं ने शांतिपूर्ण समाधान का रास्ता रोकने, नया तनाव व युद्ध की स्थिति पैदा करने और संयुक्त राष्ट्र संघ में दूसरे देशों को घमकाने के अमेरिकी साम्राज्यवाद के कदम निंदा की। बैठक ने, 1967 के पूर्व दोनों राज्यों की सीमाओं के बारे में विश्व भर में स्वीकृत स्थिति, पूर्वी येरूशलम को राजधानी के साथ स्वतन्त्र फिलस्तीनी राज्य तथा फिलस्तीनी भू–भाग से इजराइली कब्जे को खाली करने की हिमायत की। वक्ताओं ने, अमेरिकी फैसले की विश्वव्यापी विरोध व निंदा किये जाने के बावजूद मोदी सरकार द्वारा ऐसा करने से इनकार करने के लिए उसकी भर्त्सना की तथा फिलस्तीन के सवाल पर लम्बे समय से स्वीकृत भारत के रूख के अनुरूप स्थिति की घोषणा करने की माँग की

बैठक का समापन, अमेरिकी साम्राज्यवाद व इजराईल के खिलाफ व फिलस्तीन के पक्ष में संघर्ष तेज करने के संकल्प के साथ हुआ।

स्वास्थ्य उद्योग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस व एफ एन आइ सी ने संयुक्त रूप से स्वास्थ्य उद्योग के बारे में 26–17 अक्टूबर, 2017 तक पैरिस, फ्रांस में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें 23 विदेशी प्रतिनिधियों समेत 160 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें सीटू का प्रतिनिधित्व एफ एम आर ए आइ के महासचिव शान्तनु चटर्जी ने किया। सम्मेलन का मुख्य विषय था *'मानव जाति की बेहतरी के लिए समर्पित स्वास्थ्य उद्योग के लिए'* (फॉर हैल्थकेयर इंडस्ट्रीज डेडीकेटेड टू द गुड सेक ऑफ मेन काइंड)।

शान्तनु चटर्जी ने अपने विषय वार हस्पक्षेप में, भारत में स्वास्थ्य देखभाल के खस्ता हाल, आधारभूत ढ़ांचे तथा विशाल आबादी की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के प्रति केन्द्र सरकार की पूरी उदासीनता के बारे में बताया।

सम्मेलन के घोषणापत्र में यह नोट किया गया कि वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल उद्योग, सबसे ज्यादा मुनाफे वाले उद्योगों में शामिल है जिसकी वृद्धि दर बहुत ऊंची है। इस पर वैश्विक या स्थानीय वित्तीय संकट का प्रभाव नहीं हुआ है। हैल्थकेयर इंडस्ट्री के 73 प्रतिशत उत्पादन– दवाईयां व चिकित्सकीय उपकरणों– का उपभोग अमीर देशों की केवल 23 प्रतिशत विश्व आबादी द्वारा किया जाता है। दो अरब लोगों की हैल्थ केयर उत्पादों तक पहुँच नहीं है जबकि और दो अरब लोगों को यह आंशिक रूप से उपलब्ध है। अन्य लोग मुख्य रूप से अपने देशों के स्वास्थ्य सुरक्षा तंत्र पर निर्भर करते हैं।

वैश्विक पैमाने पर हैल्थकेयर खर्च बढ़ रहा है क्योंकि उद्योग द्वारा खासतौर पर विकासशील देशों में ऊंचा शुल्क वसूला जाता है जो आबादी की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप नहीं होता। हैल्थकेयर खर्चों का ऊपर की ओर बढ़ना अमीर देशों में अन्य देशों की तुलना में आठ गुना ज्यादा है।

चिकित्सकीय विज्ञान की प्रगति के कारण हजारों जानों को बचाया जा रहा है। फिर भी, चिकित्सकीय देखभाल न मिलने या उसका खर्च उठा पाने में समर्थ न होने के कारण हर वर्ष लाखों लोगों की मौत हो जाती है। हैल्थकेयर उद्योग के प्रमुख खिलाड़ियों की रणनीतियों को सरकारों का समर्थन प्राप्त होता है। 21 वीं सदी में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता कि सरकारों व कुछ अंतराष्ट्रीय संस्थानों द्वारा समर्थित कंपनियों की रणनीतियों से हजारों लोगों की जानें जाती रहें, वह भी इसलिए कि उनकी प्राथमिकता ज्यादा मुनाफे है जिसके लिए पूंजीवादी व्यवस्था मानवजाति के एक हिस्से की बलि ले लेती है।

एफ एन आइ सी, सी जी टी, डब्ल्यू एफ टी यू तथा सम्मेलन में उपस्थित सभी यूनियनें, पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों के लिए 'हैल्थकेयर तक पहुँच' व 'स्वास्थ्य के अधिकार' को वास्तविकता में बदलने के लिए सब कुछ करेंगी। उन्होंने फ्रांस, यूरोप व विश्व स्तर पर सत्ताधारी ताकतों व अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से अपील की कि वे हैल्थकेयर उद्योग को पूंजीवाद के शिकंजे व उनकी वित्तीय रणनीतियों से मुक्त करने के लिए कार्रवाई करें। हैल्थकेयर उद्योग को एक जनस्वास्थ्य सेवा की देखरेख में कानून के द्वारा निगरानी में रखा जाना चाहिये।

पानी, ऊर्जा, आवास, भोजन की तरह ही हैल्थकेयर उत्पादन भी मानवजाति की सम्पत्ति हैं और उन्हें पूंजी के शिकंजे में नहीं छोड़ा जाना चाहिये जिसके लिए विश्व की आबादी के हिस्से को बचाने की तुलना में अपने मुनाफे बनाना एकमात्र उद्देश्य है। *(योगदान : शान्तनु चटर्जी)*

वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस का कामकाजी महिलाओं का एशिया-प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन

ए आर सिंधु

पनामा में 8–10 मार्च, 2018 तक होने वाले विश्व कामकाजी महिला महाधिवेशन से पूर्व वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस का महिला मजदूरों का एशिया–प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन 6–8 दिसम्बर, 2017 तक हनोई, वियतनाम में हुआ। सम्मेलन की मेजबानी वियतनाम जनरल कंफेडरेशन ऑफ लेबर (वी जी सी एल) ने की। वियतनाम के अलावा, बंग्लादेश, भारत, ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन्स व श्रीलंका से 10 संबद्ध यूनियनों का प्रतिनिधित्व करते हुउ 14 महिला ट्रेड यूनियनिस्ट ने इसमें भाग लिया जिसमें भारत से सीटू की ए आर सिंधु व एटक की के. मल्लिका शामिल थीं।

सम्मेलन का उद्धाटन डब्ल्यू एफ टी यू की उपाध्यक्ष व वी जी सी एल की अध्यक्ष, बुई वान कुओंग ने किया। वुफ्टू मुख्यालय में जनरल कार्डिनेटर, आंदा अनास्तासाकी ने विश्व में पूँजीवादी व्यवस्था में काम करने वाली महिला मजदूरों के आम हालातों– भेदभाव पूर्ण कार्य स्थितियों, हैल्थकेयर व सामाजिक सुरक्षा के अभाव, प्रवास के चलते यौन शोषण व नस्ली भेदभाव समेत विभिन्न प्रकार की हिंसा, धरेलू काम का दोहरा बोझ, धरेलू हिंसा व महिलाओं के खिलाफ हिंसा, मातृत्व लाभों का अभाव आदि के बारे में बताया। उन्होंने

ट्रेड यूनियनों में महिलाओं की अग्रणी भूमिका के बारे में वुफ्टू के दृष्टिकोण को सामने रखा और कामकाजी महिलाओं की मांगों पर एकीकृत संघर्ष का आहवान करते हुए विश्व कामगार महिला महाधिवेशन में एक साझा रणनीति तैयार होने की उम्मीद व्यक्त की।

सीटू की ए आर सिंधु ने कहा कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में मजदूर वर्ग के शोषण और आदिम संचय के माध्यम से सबसे ज्यादा अतिरिक्त निकाला जाता है जो विश्व पूंजीवादी व्यवस्था के व्यवस्थागत संकट के गहराने के साथ विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों पर उसका बोझ डालने से और ज्यादा बढ़ रहा है। एशिया–प्रशांत क्षेत्र की महिला मजदूर इस शोषण की सबसे बड़ी शिकार हैं। उन्हें वर्गीय रूप से उन्मुख ट्रेड यूनियन आंदोलन में संगठित करना सबसे प्राथमिकता वाला काम है; विभिन्न रूपों में महिलाओं द्वारा की जाने वाली बेगार का पर्दाफाश करना, शोषण को समाप्त करने के संधर्ष में मजदूर वर्ग के हिस्से के रूप में उनकी भूमिका पर जोर देने के लिए जरूरी है।

उन्हाने भारत में शासक दल की साम्राज्यवादी नवउदार नीतियों के प्रभाव के बारे में बताया। मैकिन्जी ग्लोबल इंस्टीट्यूट रिपोर्ट के अनुसार, कार्यस्थलों पर लैंगिक समानता में सुधार लाने से भारत को 2025 में अपने सकल धरेलू उत्पाद में 2.9 ट्रिलियन डॉलर की विशाल बढोतरी करने में मदद मिल सकती है, उन्होंने कहा।

उन्होंने, कामकाजी महिलाओं को संगठित करने, सीटू में महिला मजदूरों की संख्या को 1985 के 7.7 से बढ़ाकर 2015 में 32. 36 प्रतिशत करने में सीटू व उसकी अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समिति की बढ़त के बारे में भी बताया। वर्तमान में सीटू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों में महिलाओं का प्रतिशत 26.2 प्रतिशत है।

उन्होंने सुझाव दिया कि वुफ्टु के संबद्ध संगठनों को आर्थिक व सामाजिक अत्याचारों के नये रूपों के बारे में, उनकी वैश्विक कड़ियों व अंतर्सम्बंधों, विश्व के विभिन्न भागों में शोषण के लिए सामंती पितृसत्तात्मक मूल्यों के प्रयोग का गहराई से अध्ययन व इन सूचनाओं के प्रसार, तथा मजदूर वर्ग व विशेषरूप से महिला मजदूरों के बीच इन मुद्दों व मांगों को लोकप्रिय बनाने के लिए संजाल को मजबूत करना चाहिये, यूनियन बद्ध करना; व जुझारू संधर्षें के उच्च रूपों को अपनाना चाहिये।

अन्य देशों की प्रतिनिधयों– बंग्लादेश से जातियों श्रमिक फेडरेशन की सहाना फिरदौसी लकी व बी टी यू की कोरमी बरूआ, इंडोनेशिया से के ए एस बी अना दियाना; मलेशिया से एन यू बी ई की एवलिन चेन सिऊ व नूर फातिहा सुहैला बिनती मो. नूर; फिलीपीन्स से वर्कर्स फॉर पीपुल्स लिबरेशन की रोजालिंडा गोबरिन व नेशनल कॉंग्रेस ऑफ वर्कर्स की डोरिना क्लेयर जूको नरावल; श्री लंका से ऑल सीलोन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की विशाका, शमाली हाऊस की सोहिला जेलोदार जादेह ने भी नवउदारवादी नीतियों के प्रभाव; बढते केजुएलाइवेशन व अंडरएम्पलायमेंट, सामाजिक सुरक्षा वापस लिये जाने, स्वास्थ्य, शिक्षा व पोषण व अन्य जन उपयोगी सेवाओं तथा मातृत्व लाभों समेत मजदूरों के अन्य अधिकारों को समाप्त करने के लिए श्रम कानूनों में बदलाव करने के सभी देशों के ऐसे ही अनुभवों को साझा किया। एशिया प्रशांत क्षेत्र में उत्पादन के मेन्युफेक्चरिंग टैक्सटाइल, गारमेंट जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सबसे सस्ते श्रम के साथ निवेश को आकर्षित करने की प्रतिस्पर्धा महिला मजदूरों के और अधिक शोषण का रास्ता बना रही है तथा इसे पूंजीवाद के संकट से और बढ़ावा मिल रहा है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा का बढ़ना आज आम हो गया है। संकट के चलते हो रहा प्रवास इसे और बढ़ा रहा है। इन देशों में निर्वाचित निकायों व निर्णयकारी पदों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी बहुत ही कम हैं।

प्रतिनिधियों ने इन देशों में मजदूरों व ट्रेड यूनियन आंदोलन के बढ़ते प्रतिरोध के अनुभवों को भी साझा किया। महिला मजदूरों के अधिकारों को स्थापित कराने में भी कुछ उपलब्धियाँ व प्रगति हुई है। ईरान की पहली महिला सांसद सोहीला ने महिला मजदूरों के मातृत्व लाभ के बारे में बताया। उन्होंने महिला मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा पैकेज लाने के लिए पहल की।

वियतनाम का अनुभव अलग था। वी जी सी एल के प्रतिनिधिमंडल में टेक्सटाईल, सूचना व संचार, कृषि, परिवहन उद्योग व व्यापार, भवन, स्वास्थ्य, रेलवे व शिक्षा की सैक्टोरल यूनियनों के अलावा महिला मजदूरों के संगठनों के विभिन्न विभागों– अंतर्राष्ट्रीय, प्रशासनिक, सूचना व शिक्षा, कानूनी मामले आदि की प्रतिनिधि शामिल थीं। वी जी सी एल के मामले मजदूर विभाग की निदेशक त्रिन तान हाँग ने दो हिस्सों में एक प्रस्तुति दीः सामाजिक–आर्थिक विकास में महिला मजदूरों की भूमिका तथा महिलाओं की भूमिका को बढ़ाने में ट्रेड यूनियनों की भूमिका। वियतनाम में महिला फोरम की 2016 की जेंडर गैप इंडेक्स की रैंकिंग में 144 देशों में वियतनाम का स्थान 65 वाँ है (भारत का स्थान 108 वाँ है)। पूर्वी एशिया में , संसद में महिला सदस्यों की संख्या वियतनाम में किसी भी अन्य देश से ज्यादा है और विश्व में उसका 18 वाँ स्थान है। हर स्तर पर पीपुल्स कौंसिलों व राष्ट्रीय असेम्बली में महिलाओं का प्रतिशत 25 प्रतिशत से ज्यादा है, जो बढ़ने की ओर है। उत्पादन व सेवा क्षेत्रों में महिलायें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

वी जी सी एल की महिला सदस्यता 50 प्रतिशत से ज्यादा है। कार्यस्थल स्तर की एक्जीक्यूटिव कमेटियों में उसकी 46.4 प्रतिशत महिलायें हैं, इसके ठीक ऊपर के स्तर पर 37.6 प्रतिशत वी जी सी एल एक्जीक्यूटिव कमेटी में 27.33 व 25 प्रतिशत अध्यक्ष मंडल की सदस्य हैं। वी जी सी एल, महिला मजदूरों के अधिकारों पर कानून बनाने नीतियों के अमल पर निगरानी में सक्रिय भूमिका के लिए महिलाओं की नेतृत्वकारी भूमिका को प्रोत्साहन दे रहा है। यूनियन, अधिकतर महिला कामगारों वाले कुछ सैक्टरों में जेंडर असंतुलन व आई जेड व ई पी जेड में असमानता की चुनौतियों से निपटने के काम में लगी है। एक प्रश्न के उत्तर में वी जी सी एल प्रतिनिधि ा ने कहा कि गृहकार्य समेत महिलाओं द्वारा की जाने वाली बेगार को देश की जी डी पी में नहीं गिना जाता है। कार्यस्थल की एक यूनियन की प्रतिनिधि ने ई पी जेड में सामूहिक सौदेबाजी के अपने पहले अनुभव को साझा किया जिससे मातृत्व लाभ मिला और वेतन में बढ़ोतरी हुई।

भागीदारों ने समान वेतन, समान अवसर, मातृत्व लाभ, हैल्थकेयर, यौन उत्पीड़न व हिंसा से बचाव निर्णयकारी पदों में ज्यादा प्रतिनिधित्व, प्रवासी मजदूरों के अधिकारों आदि मांगों पर सघन अभियान व संघर्ष चलाने का सुझाव दिया। सम्मेलन ने उच्च स्तर के संघर्षो के लिए अधि ाक समन्वय व एकजुटता कार्यवाईयों व सूचनायें साझा करने का फैसला किया। हर देश की जी डी पी में महिलाओं द्वारा की गई बेगार का आकलन किये जाने की मांग सम्मेलनों में उठायी गई। वी जी सी एल की उपाध्यक्ष एनग्रयेन थी यू होंग के समापन भाषण से सम्मेलन समाप्त हुआ तथा आंदा ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

हो ची मिन्ह संग्रहालय देखने का भागीदारों का अनुभव प्रेरणादायक था। वी जी सी एल ने भागीदारों के लिय नी बिन प्रांत भ्रमण का भी प्रबंध किया था।

कम्पनीज (संशोधन) विधेयक पर तपन सेन

19 दिसंबर को कम्पनीज (संशोधन) विधेयक, 2017 पर राज्यसभा में बहस में भाग लेते हुए सीटू के महासचिव और सांसद तपन सेन ने 'विधोयक के उद्देश्य और कारणों के वक्तव्य' में एसएमई को छोड़ने के बारे में बताया; और गिरावट का सामना करने के लिए उन्हे अलग से छूट और भत्ते देकर समर्थन देने की जरूरत पर जोर दिया।

उन्होंने 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक का एनपीए बनाने वाली बड़ी कंपनियों को छूट या भत्ता न देने की माँग की; और ये सभी हर साल 4–5 लाख करोड़ रुपये से अधिक की टैक्स छूटों के बावजूद, टैक्सों के भारी बकाएदार हैं। इनके बावजूद, संशोधन में उन्ही के लिए अधिक उदारीकरण का प्रस्ताव दिया गया है।

उन्होंने (i) 2013 के अधिनियम में 'अंदरूनी ट्रेडिंग' पर लगे प्रतिबंध को हटाने जो कि सट्टेबाजी और पूँजी को रोजगार पैदा करने और धन पैदा करने वाली गतिविधियों में न डालने को बढ़ावा देगा, जैसा कि उद्देश्यों और कारणों के वक्तव्य में दावा किया गया है, (ii) एक वर्ग की विदेशी कंपनियों को पंजीकरण और अनुपालन की व्यवस्था से छूट देने वाले खण्ड; (iii) कई प्रावधानों को अधिनियम से बाहर स्थानांतरित करने और उन्हे नियमों के तहत लगाए जाना संसद के अधिकार को कमजोर करेगा और जो लागू होने योग्य नहीं हैं; (iv) 2013 के अधिनियम में निजी कंपनियां को अपने शुद्ध लाभ का 2% कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए खर्च करने की प्रतिबद्धता न होने से अतिरंजित दावेदारी के बावजूद भी धारा 35 एवं 36 को कमजोर करने से शुद्ध लाभ को कम दिखाकर कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी से छूट का रास्ता खुल जाता है;का विरोध किया और वापस करने की मांग की।

उन्होंने 'जवाबदेही' की धारा की अनुपस्थिति को भी इंगित किया, हालांकि उद्देश्यों और कारणों में उल्लिखित है। बाजार से पैसा लेने और छोटे निवेशकों से फिरौती की तरह लेकर लुप्त हो जाने पर नकली कंपनियों को खत्म करने की कोई धारा ही नहीं है।

vk|kfxd Jfedk d fy, miHkkDrk eY; lpdk vk/kkj o"k 2001=100

u- 112@6@2006&,ulhihvkb

jkT;	dsn	fLkrEcj 2017	vDVwcj 2017
vk/k izns'k	xq.Vwj	277	281
	gSnjkckn	249	252
	fo'kk[kkiÿku	282	285
	okjaxy	288	289
vle	MeMek frulf[k;k	267	269
	xokgkVh	250	253
	ycd flYpj	261	261
	efj;kuh tkjgkV	248	249
	jxkikjk rsrtiqj	243	246
fcgkj	eq?kj&tekyiqj	300	308
p.Mhx<	p.Mhx<	284	283
NÿhlxM+	fHkykbZ	318	316
fnYyh	fnYyh	263	262
Xkksok	xksok	297	274
Xkqtjkr	vgenkckn	272	269
	Hkkouxj	272	275
	jktdksV	274	264
	lwjr	263	268
	oMksnjk	260	259
gfj;k.kk	Qjhnkckn	276	275
	;euk uxj	258	258
fgekpy	fgekpy çns'k	264	265
tEew ,oa d'ehj	Jhuxj	279	284
>kj[k.M	ckdkjk	303	305
	fxfjMhg	332	335
	te'kniqj	309	313
	>fj;k	326	329
	dksMek	326	328
	jkph gfV;k	294	296
dukVd	cyxke	288	290
	cxyksj	304	304
	gcyh /kkjokM+	304	300
	ejdjk	297	298
	eSlwj	295	297
djy	,.kkdqye@vyoSc	303	304
	eq.MkD;ke	323	328
	fDoyku	280	281
e/; çns'k	Hkksiky	292	297
	fNUnokM+k	259	261
	bUnkSj	282	283
	tcyiqj		

jkT;	dsn	fLkrEcj 2017	vDVwcj 2017
egjk"V	eEcbZ	293	295
	ukxiqj	318	317
	ukfld	295	295
	iq.kk	276	278
	'kksykiqj	295	296
mM+hlk	vkxy&rkypqj	300	304
	jkmjdqyk	305	310
	ikfMpfj	298	305
	ikfMpfj	286	287
iatkc	verlj	286	288
	tkyU/kj	276	278
	yf/k;kuk	263	263
jktLFkku	vtesj	279	278
	HkhyokM+k	274	274
	t;iqj	276	266
rfeyukMq	pUuS	270	272
	dksbEcVwj	281	286
	dUuwj	281	287
	enqjkbZ	270	273
	lqye	285	295
	fr#pjkiYyh	293	298
f=iqjk	f=iqjk	254	266
mÿkj çns'k	vkxjk	264	312
	xkft;kckn	301	283
	dkuiqj	291	292
	y[kuÅ	277	277
	okjk.klh	282	285
if'pe cxky	vklulky	307	306
	nkftfyx	256	266
	nxkiqj	312	313
	gfYn;k	312	316
	gksM+k	270	274
	tkyikbZxqM+h	279	283
	dksydkrk	270	276
	jkuhxat	254	256
	flyhxqM+h	269	271
vf[ky Hkkjrh; lpdk		285	287

सीटू का मुखपत्र

सीटू मजदूर

ग्राहक बनें

- **व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए** – वार्षिक ग्राहक शुल्क – रू0 100/–
- **एजेंसी** – कम से कम पाँच प्रतियों; 25% छूट कमीशन के रूप में;
- **भुगतान** – चेक द्वारा – ''सीटू मजदूर'' जो कनारा बैंक, डीडीयू मार्ग शाखा, नई दिल्ली–110002 पर देय

  बैंक मनी ट्रांसफर द्वारा – एसबीए/सीन0 0158101019568;
  आइएफसीकोड : सीएनआरबी 0000158;
- **संपर्क:** ई मेल/पत्र की सूचना के साथ
  प्रबंधक, सीटू मजदूर, सीटू केन्द्र, बी टी आर भवन,
  13 ए राऊज एवेन्यू, नई दिल्ली–110002; ईमेल: citubtr@gmail.com
  फोन: (011) 23221306 फैक्स: (011) 23221284

पंजाब में आँगनबाड़ी मजदूरों की विजय रैलियां

(रिपोर्ट पृ० 20)

अमृतसर

जालन्धर

लुधियाना

मोहाली

मुम्बई में फील्ड वर्कर्स की रैली

(रिर्पोट पृ० 12)

मैडीकल एण्ड सेल्स रिप्रिजेन्टेटिव्स की अखिल भारतीय रैली 13 नवम्बर को मुम्बई के ऐतिहासिक आजाद मैदान में सम्पन्न हुई

Posted at NDPSO New Delhi- 1 Postal Regd. No. DL(C)-01/1201/18-20 20 RNI No. 34666/79: 6th-7th of every month Licensed to Post without prepayment under License No.U(C)-38/2018-20 (Date of Publication - 5/01/2018)

महंगाई के खिलाफ सीटू का विरोध

(रिपोर्ट पृ० 6)

राऊरकेला, ओडिशा

रांची, झारखण्ड

अमृतसर, पंजाब

हनुमानगढ़, राजस्थान

सलेम, तामिलनाडू

कासरगोड, केरल

तपन सेन द्वारा सेंटर ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियन्स के लिए मुद्रित और प्रकाशित तथा प्रोग्रैसिव प्रिंटर्स, ए–21 झिलमिल इण्डस्ट्रियल एरिया, शाहदरा, दिल्ली–95 से मुद्रित तथा बी टी रणदिवे भवन, 13–ए राउज एवेन्यू, नई दिल्ली–110002 से प्रकाशित (फोनः 23221288, 23221306; http://www.citucentre.org, CITU email: citu@bol.net.in, citubtr@gmail.com) सम्पादक : **के हेमलता**

असम

गुजरात

आंध्रप्रदेश

महाराष्ट्र

पंजाब

कोलकाता

नोएडा (एन सी आर)

नई दिल्ली

अमृतसर, पंजाब

गुवाहाटी, असम

रोपड़ , पंजाब